2019 का विधेयक संख्यांक 144

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और लागू होना ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

उपभोक्ता संरक्षण परिषद्

3. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् ।
4. केंद्रीय परिषद् की बैठकों की प्रक्रिया ।
5. केंद्रीय परिषद् के उद्देश्य ।
6. राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदें ।
7. राज्य परिषद् के उद्देश्य ।
8. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् ।
9. जिला परिषद् के उद्देश्य ।

अध्याय 3

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

10. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना ।
11. मुख्य आयुक्त और आयुक्तों की अर्हताएं, भर्ती की पद्धति आदि ।
12. रिक्ति आदि से केंद्रीय प्राधिकरण की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।
13. केंद्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों, विशेषज्ञों, वृत्तिकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति ।
14. केंद्रीय प्राधिकरण की प्रक्रिया ।
15. अन्वेषण खंड ।
16. जिला कलेक्टर की शक्ति ।
17. प्राधिकारियों को शिकायतें ।
18. केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य ।
19. केंद्रीय प्राधिकरण की मामले को, अन्वेषण करने के लिए अन्य विनियामक को निर्दिष्ट करने की शक्ति ।
20. केंद्रीय प्राधिकरण की मालों आदि को वापस मंगाने की शक्ति ।
21. केंद्रीय प्राधिकरण की मिथ्या या भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध निदेश जारी करने की शक्ति ।

खंड

22. तलाशी और अधिग्रहण ।

23. केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए किसी कानूनी प्राधिकरण या निकाय का पदनाम ।

24. अपील ।

25. केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

26. लेखे और संपरीक्षा ।

27. वार्षिक रिपोर्टें आदि का प्रस्तुत किया जाना ।

अध्याय 4

उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

28. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना ।

29. जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं आदि ।

30. जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ।

31. संक्रमणकालीन उपबंध ।

32. जिला आयोग के सदस्य के पद की रिक्ति ।

33. जिला आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ।

34. जिला आयोग की अधिकारिता ।

35. वह रीति, जिसमें परिवाद किया जाएगा ।

36. जिला आयोग के समक्ष कार्यवाहियां ।

37. मध्यक्ता को निर्देश ।

38. परिवाद के ग्रहण होने पर प्रक्रिया ।

39. जिला आयोग के निष्कर्ष ।

40. कतिपय मामलों में जिला आयोग द्वारा पुनर्विलोकन ।

41. जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील ।

42. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना ।

43. राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं आदि ।

44. राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ।

45. संक्रमणकालीन उपबंध ।

46. राज्य आयोग के अधिकारी और कर्मचारी ।

47. राज्य आयोग की अधिकारिता ।

48. मामलों का अंतरण ।

49. राज्य आयोग को लागू प्रक्रिया ।

50. कतिपय मामलों में राज्य आयोग द्वारा पुनर्विलोकन ।

51. राष्ट्रीय आयोग को अपील ।

52. अपील की सुनवाई ।

खंड

53. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना ।
54. राष्ट्रीय आयोग की संरचना ।
55. राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं आदि ।
56. संक्रमणकालीन उपबंध ।
57. राष्ट्रीय आयोग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी ।
58. राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता ।
59. राष्ट्रीय आयोग को लागू प्रक्रिया ।
60. कतिपय मामलों में राष्ट्रीय आयोग द्वारा पुनर्विलोकन ।
61. एक पक्षीय आदेशों को अपास्त करने की शक्ति ।
62. मामलों का अंतरण।
63. राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के पद में रिक्ति ।
64. रिक्तियों या नियुक्ति में त्रुटियों से आदेशों का अविधिमान्य न होना ।
65. सूचना का तामील आदि ।
66. राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग की विशेषज्ञों द्वारा सहायता ।
67. राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरूद्ध अपील ।
68. आदेशों की अंतिमता ।
69. परिसीमा अवधि ।
70. प्रशासनिक नियंत्रण ।
71. जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के आदेशों का प्रवर्तन ।
72. आदेश के अननुपालन के लिए शास्ति ।
73. धारा 72 के अधीन पारित आदेशों के विरुद्ध अपील ।

अध्याय 5

मध्यकता

74. उपभोक्ता मध्यकता सैल की स्थापना ।
75. मध्यकों का पैनलीकरण ।
76. पैनल से मध्यकों का नामनिर्देशन ।
77. कतिपय तथ्यों को प्रकट करने का मध्यस्थ का कर्तव्य ।
78. कतिपय मामलों में मध्यक का प्रतिस्थापन।
79. मध्यकता के लिए प्रकिया ।
80. मध्यकता के माध्यक से निपटान ।
81. निपटान को अभिलिखित करना और आदेश का पारित किया जाना ।

अध्याय 6

उत्पाद दायित्व

82. अध्याय का लागू होना ।
83. उत्पाद दायित्व कार्रवाई ।
84. उत्पाद विनिर्माता का दायित्व ।

खंड

85. उत्पाद सेवा प्रदाता का दायित्व ।

86. उत्पाद विक्रेताओं का दायित्व ।

87. उत्पाद दायित्व कार्रवाई के अपवाद ।

अध्याय 7

अपराध और शास्तियां

88. केन्द्रीय प्राधिकरण के निदेशों के अननुपालन के लिए शास्ति ।

89. मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन के लिए दंड ।

90. अपद्रव्य को अन्तर्विष्ट करने वाले उत्पादों के विक्रय या भंडारण, विक्रीत या वितरण या आयात के लिए विनिर्माण हेतु दंड ।

91. नकली माल के विक्रय के लिए विनिर्माण या उनके भंडारण या विक्रय या वितरण या आयात के लिए दंड ।

92. न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान।

93. तंग करने वाली तलाशी ।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

94. ई-वाणिज्य, प्रत्यक्ष विक्रय आदि में अनुचित व्यापार पद्धितियों को रोकने के लिए उपाय ।

95. अध्यक्ष, सदस्य, मुख्य आयुक्त, आयुक्त और कतिपय अधिकारियों का लोक सेवक होना ।

96. अपराधों का शमन ।

97. शास्ति जमा करने की रीति ।

98. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

99. केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश देने की शक्ति ।

100. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना ।

101. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

102. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

103. राष्ट्रीय आयोग की विनियम बनाने की शक्ति ।

104. केन्द्रीय प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति ।

105. नियमों और विनियमों का संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना ।

106. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति ।

107. निरसन और व्यावृत्ति ।

2019 का विधेयक संख्यांक 144

[दि कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019

उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए और उक्त प्रयोजन के लिए उपभोक्ता विवादों के समय से और प्रभावी प्रशासन तथा परिनिर्धारण के लिए और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और लागू होना ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और विभिन्न राज्यों और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के लागू होने के प्रति किया जाएगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह अधिनियम सभी माल और सेवाओं को लागू होगा ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "विज्ञापन" से कोई श्रव्य या दृश्य प्रचार, किसी प्रकाश, ध्वनि, धूम्र, गैस, मुद्रित, इलैक्ट्रानिक माध्यम, इंटरनेट, वेबसाइट के माध्यम द्वारा किया गया कोई रूपण या उदघोषणा और जिसके अंतर्गत कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर, बीजक या कोई ऐसा अन्य दस्तावेज अभिप्रेत है ;

(2) "समुचित प्रयोगशाला" से कोई प्रयोगशाला या संगठन अभिप्रेत है, जो—

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त है ; या

(ii) किसी राज्य सरकार द्वारा ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किए जाएं, मान्यताप्राप्त है ; या

(iii) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया है, जिसका केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा, किसी माल का यह अवधारण करने की दृष्टि से कि क्या उस माल में कोई त्रुटि है, विश्लेषण या परीक्षण करने के लिए, अनुरक्षण, वित्तपोषण किया जाता है या सहायता की जाती है ;

(3) "शाखा कार्यालय" से अभिप्रेत है—

(i) कोई ऐसा स्थापन जो विरोधी पक्षकार द्वारा शाखा के रूप में वर्णित किया गया है ; या

(ii) कोई ऐसा स्थापन जो वही क्रियाकलाप या सारतः वही क्रियाकलाप कर रहा है जो स्थापन के मुख्य कार्यालय के द्वारा किया जाता है ;

(4) "केन्द्रीय प्राधिकरण" से धारा 10 के अधीन केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(5) "परिवादी" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) कोई उपभोक्ता ; या

(ii) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम ; या

(iii) केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार ; या

(iv) केंद्रीय प्राधिकरण ; या

(v) एक या अधिक उपभोक्ता, जहां अनेक उपभोक्ताओं का समान हित है ; या

(vi) किसी उपभोक्ता की मृत्यु की दशा में उसका विधिक उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि ; या

(vii) अप्राप्तवय उपभोक्ता की दशा में उसके माता-पिता या विधिक

संरक्षक ।

(6) "परिवाद" से किसी परिवादी द्वारा इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित कोई अनुतोष अभिप्राप्त करने के लिए लिखित में किया गया ऐसा कोई अभिकथन अभिप्रेत है कि—

(i) किसी व्यापारी या सेवा प्रदाता द्वारा कोई अनुचित संविदा या अनुचित व्यापारिक व्यवहार या कोई अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अपनाया गया है ;

(ii) उसके द्वारा क्रय किए गए या उसके द्वारा क्रय किए जाने के लिए करार किए गए माल में एक या अधिक त्रुटियां हैं ;

(iii) उसके द्वारा भाड़े पर ली गई या उपभोग की गई या भाड़े पर लिए जाने के लिए करार की गई या उपभोग की गई सेवाओं में कोई कमी है ;

(iv) यथास्थिति, किसी व्यापारी या सेवा प्रदाता ने परिवाद में वर्णित माल या सेवाओं के लिए ऐसी कीमत से अधिक कीमत ली है जो,—

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन नियत की गई है ; या

(ख) ऐसे माल या ऐसे माल को अंतर्विष्ट करने वाले किसी पैकेज पर संप्रदर्शित की गई है ; या

(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उसके द्वारा प्रदर्शित कीमत सूची पर संप्रदर्शित की गई है ; या

(घ) पक्षकारों के बीच करार पाई गई है ;

(v) ऐसा माल, जिसका जनता को विक्रय के लिए प्रस्ताव किया जा रहा है, उपभोग किए जाने पर जीवन और सुरक्षा के लिए परिसंकटमय है—

(क) ऐसे माल की सुरक्षा से संबंधित मानकों के, जिनका तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अनुपालन करने की अपेक्षा की गई है, उल्लंघन में ;

(ख) जहां व्यापारी यह जानता है कि इस प्रकार प्रस्ताव किए गए माल जनता के लिए असुरक्षित है,

जनता को विक्रय के लिए प्रस्थापित किया जा रहा है ;

(vi) ऐसी सेवाएं, जो उनके उपयोग किए जाने पर जनता के जीवन और सुरक्षा के लिए परिसंकटमय है या जिनका परिसंकटमय होना संभाव्य है, का उस व्यक्ति द्वारा प्रस्ताव किया जा रहा है, जो कोई सेवा प्रदान करता है तथा जो यह जानता है कि वह जीवन और सुरक्षा के लिए हानिकर है ;

(vii) यथास्थिति, उत्पाद विनिर्माता, उत्पाद विक्रेता या उत्पाद सेवा प्रदाता के विरुद्ध उत्पाद दायित्व कार्रवाई के लिए कोई दावा है ।

(7) "उपभोक्ता" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो—

(i) किसी ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या भागतः संदाय किया गया है, भागतः वचन दिया गया है या किसी आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन किसी माल का क्रय करता है और इसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति से भिन्न, जो ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या भागतः संदाय किया गया है या भागतः वचन दिया गया है या आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन माल का क्रय करता है ऐसे माल का कोई प्रयोगकर्ता भी है, जब ऐसे प्रयोग ऐसे व्यक्ति के अनुमोदन के किया जाता है किंतु इसके अतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ऐसे माल को पुनः विक्रय या किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए अभिप्राप्त करता है ; या

(ii) किसी ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या भागतः संदाय किया गया है और भागतः वचन दिया गया है, या किसी आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन सेवाओं को भाड़े पर लेता है या उनका उपभोग करता है और इसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति से भिन्न जो ऐसे किसी प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया गया है और वचन दिया गया है और भागतः संदाय किया गया है और भागतः वचन दिया गया है या किसी आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन सेवाओं को भाड़े पर लेता है या उनका उपभोग करता है ऐसी सेवाओं का कोई हिताधिकारी भी है जब ऐसी सेवाओं का उपयोग प्रथम वर्णित व्यक्ति के अनुमोदन से किया जाता है ;

स्पष्टीकरण–इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "वाणिज्यिक प्रयोजन" पद के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा क्रय और उपभोग किए गए माल सम्मिलित नहीं है, जिनका उसके द्वारा स्व:रोजगार के माध्यम से जीविका अर्जन के प्रयोजन के लिए अनन्य रूप से उपयोग किया गया है ;

(ख) "किन्हीं मालों का क्रय" और "किन्हीं सेवाओं को भाड़े पर लेना या उनका उपयोग करना" पदों के अंतर्गत इलैक्ट्रानिक साधनों या टेलीशापिंग या सीधे विक्रय या बहुस्तरीय विपणन के माध्यम से आफलाइन या आनलाइन संव्यवहार सम्मिलित हैं ।

(8) "उपभोक्ता विवाद" से कोई ऐसा विवाद अभिप्रेत है, जब कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई परिवाद किया गया है, परिवाद में अंतर्विष्ट विवाद के अभिकथनों से इंकार करता है या उनका प्रतिवाद करता है ;

(9) "उपभोक्ता अधिकारों" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—

(i) ऐसे मालों, उत्पादों या सेवाओं, जो जीवन और संपत्ति के लिए परिसंकटमय है, के विपणन के विरुद्ध संरक्षित किए जाने का अधिकार ;

(ii) यथास्थिति, मालों, उत्पादों या सेवाओं की क्वालिटी, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और कीमत के विषय में सूचित किए जाने का अधिकार ताकि उपभोक्ता को अनुचित व्यापार पद्धतियों के विरुद्ध संरक्षित किया जा सके ;

(iii) जब भी संभव हो बीमा किए जाने का विभिन्न प्रकार के मालों, उत्पादों या सेवाओं तक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर पहुंच का अधिकार ;

(iv) सुने जाने का और इस आश्वासन का अधिकार कि समुचित मंच पर उपभोक्ता के अधिकारों को सम्यक् विचारण प्रदान किया जाएगा ;

(v) अनुचित व्यापार व्यवहार या निर्बंधित व्यापार व्यवहारों या उपभोक्ताओं के अनैतिक दोहन के विरुद्ध अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार ; और

(vi) उपभोक्ता जागरुकता का अधिकार ।

(10) "त्रुटि" से ऐसी क्वालिटी, मात्रा, शक्ति, शुद्धता या मानक में जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अथवा किसी अभिव्यक्ति या विक्षित संविदा के अधीन बनाए रखना अपेक्षित है या जिसका ऐसे किसी माल या उत्पाद के संबंध में किसी भी प्रकार की रीति में व्यापारी द्वारा दावा किया गया है, कोई दोष, अपूर्णता या कमी अभिप्रेत है और "त्रुटिपूर्ण" पद से तदनुसार अर्थ होगा ;

(11) "कमी" से ऐसे कार्य की क्वालिटी, प्रकृति और रीति में जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन बनाए रखना अपेक्षित है या जिसका किसी सेवा के संबंध में किसी संविदा के अनुसरण में या अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा पालन किए जाने का वचनबंध किया गया है, कोई दोष, अपूर्णता, कमी या अपर्याप्तता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत—

(i) ऐसे व्यक्ति द्वारा असावधानी या लोप या किया गया कोई कार्य, जो उपभोक्ता को हानि या क्षति कारित करता है ; और

(ii) उपभोक्ता से ऐसे व्यक्ति द्वारा सुसंगत सूचना को जानबूझकर छिपाना ;

(12) "डिजाइन" से किसी उत्पाद के संबंध में ऐसे उत्पाद के ज्ञात भौतिक या सारवान् लक्षण अभिप्रेत हैं और जिसके अंतर्गत ऐसे उत्पाद की आशयित या ज्ञात विनिर्मिति या ऐसे उत्पाद की अंतर्वस्तु और ऐसे उत्पाद को उत्पादित करने के लिए उपयोग की गई विनिर्माण या अन्य आशयित प्रक्रिया सम्मिलित है ;

(13) "सीधे विक्रय" से स्थायी खुदरा स्थान के माध्यम से भिन्न विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से मालों का विपणन, वितरण और विक्रय या सेवाओं का उपबंध अभिप्रेत है ;

(14) "महानिदेशक" से धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त महानिदेशक अभिप्रेत है ;

(15) "जिला आयोग" से धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अभिप्रेत है ;

(16) "ई-कामर्स" से माल या सेवाओं का क्रय या विक्रय अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत डिजीटल या इलैक्ट्रानिक नेटवर्क पर डिजीटल उत्पाद हैं ;

(17) "इलैक्ट्रानिक सेवा प्रदाता" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी उत्पाद

विक्रेता को किसी उपभोक्ता को विज्ञापन या माल या सेवाओं विक्रय करने में समर्थ बनाने के लिए नियोजित करने के लिए प्रौद्योगिकी या प्रक्रियाओं को उपलब्ध करता है और इसके अंतर्गत कोई आनलाइन बाजार स्थान या आनलाइन नीलामी स्थल हैं ;

(18) किसी विज्ञापन के संबंध में "पृष्ठांकन" से,—

(i) कोई संदेश, शाब्दिक कथन, प्रदर्शन ; या

(ii) किसी व्यष्टिक का नाम, हस्ताक्षर, सदृश या अन्य पहचानी गई वैयक्तिक विशेषताएं ; या

(iii) किसी संस्था या संगठन के नाम या मुहर का चित्रण

अभिप्रेत है, जो उपभोक्ता को यह विश्वास दिलाता है कि वह ऐसा पृष्ठांकन करने वाले व्यक्ति की राय, खोज या अनुभव को प्रदर्शित करता है ;

(19) "स्थापन" के अंतर्गत कोई विज्ञापन अभिकरण, कमीशन अभिकर्ता, विनिर्माण, व्यापार या कोई अन्य वाणिज्यिक अभिकरण सम्मिलित है, जो वाणिज्यिक कार्यकलाप, व्यापार या वृत्ति से संबंधित या उससे आनुषंगिक या सहायक कारबार, व्यापार या अन्य वृत्ति करता है या व्यक्तियों का ऐसा अन्य वर्ग या वर्ग, जिसके अंतर्गत लोक उपयोगिता निकाय ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सम्मिलित हैं ;

(20) "अभिव्यक्ति वारंटी" से किसी उत्पाद या सेवा से संबंधित कोई तात्विक कथन, तथ्यों का प्रतिज्ञान, वचन या विवरण अभिप्रेत है, जो यह वारंटी प्रदान करता है कि वह ऐसे तात्विक कथन, प्रतिज्ञान, वचन या विवरण की पुष्टि करता है और इसके अंतर्गत किसी उत्पाद का कोई नमूना या मॉडल है, जो यह वारंटी करता है कि ऐसा संपूर्ण उत्पाद ऐसे नमूने या मॉडल के अनुरूप है ;

(21) "माल" से प्रत्येक प्रकार की जंगम संपत्ति अभिप्रेत है ; और इसके अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ञ) में यथा परिभाषित "खाद्य" है ; 2006 का 34

(22) किसी उत्पाद दायित्व के संबंध में "अपहानि" में,—

(i) स्वयं उत्पाद से भिन्न किसी संपत्ति को हानि ;

(ii) वैयक्तिक क्षति, रुग्णता या मृत्यु ;

(iii) वैयक्तिक क्षति या रुग्णता या संपत्ति को नुकसान के कारण मानसिक वेदना या भावनात्मक व्यथा ; या

(iv) कान्सोर्टियम या सेवाओं की कोई हानि या उपखंड (i) या उपखंड (ii) या उपखंड (iii) में निर्दिष्ट किसी अपहानि के परिणामस्वरूप कोई अन्य नुकसान,

सम्मिलित है, किंतु इसके अंतर्गत स्वयं उत्पाद को कारित कोई अपहानि या वारंटी स्थितियों के भंग होने के लेखे संपत्ति कोई नुकसान कोई वाणिज्यिक या कोई आर्थिक नुकसान, जिसके अंतर्गत उससे सीधे, आनुषंगिक या पारिणामिक नुकसान

है, सम्मिलित नहीं होगा ;

(23) "क्षति" से कोई अपहानि अभिप्रेत है, चाहे जो भी हो, जिसे अवैध रूप से किसी व्यक्ति को, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या संपत्ति को कारित किया गया है ;

(24) "विनिर्माता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो,—

(i) किन्हीं मालों या उसके भाग को बनाता है ; या

(ii) अन्य द्वारा बनाए गए मालों या उनके भागों को संयोजित करता है ; या

(iii) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाए गए किन्हीं मालों पर अपना स्वयं का चिह्न लगाता है या लगवाता है ;

(25) "मध्यकता" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा मध्यक उपभोक्ता विवादों में मध्यक्ता करता है ;

(26) "मध्यक" से धारा 75 में निर्दिष्ट मध्यक अभिप्रेत है ;

(27) "सदस्य" के अंतर्गत, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या किसी राज्य आयोग या जिला आयोग का अध्यक्ष और कोई सदस्य सम्मिलित है ;

(28) किसी उत्पाद या सेवा के संबंध में "भ्रामक विज्ञापन" से कोई विज्ञापन अभिप्रेत है, जो,—

(i) ऐसे उत्पाद या सेवा का मिथ्या वर्णन करता है ; या

(ii) ऐसी मिथ्या गारंटी देता है जो या जिससे ऐसे उत्पाद या सेवा की प्रकृति, सार, मात्रा या गुणवत्ता के प्रति उपभोक्ताओं के भ्रमित होने की संभावना है ; या

(iii) ऐसा अभिव्यक्त या विवक्षित उपदर्शन प्रदान करता है, जो यदि विनिर्माता या विक्रेता या सेवा प्रदाता द्वारा बनाया गया है तो उससे एक अनुचित व्यापार पद्धति का गठन होगा ; या

(iv) जानबूझकर महत्वपूर्ण सूचना को छिपाता है ;

(29) "राष्ट्रीय आयोग" से धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अभिप्रेत है ;

(30) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और अधिसूचित पद का तदनुसार अर्थान्वयन किया जाएगा ;

(31) "व्यक्ति" के अंतर्गत है—

(i) कोई व्यष्टि ;

(ii) कोई फर्म चाहे रजिस्ट्रीकृत है या नहीं ;

(iii) हिंदू अविभक्त कुटुंब ;

(iv) सहकारी सोसाइटी ;

(v) व्यक्तियों का कोई संगम चाहे वह सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण

अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं ; 1860 का 21

(vi) कोई निगम, कंपनी या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं ;

(vii) कोई कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो किसी भी पूर्ववर्ती उपखंड के अधीन नहीं आता है ;

(32) "विहित" से, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(33) "उत्पाद" से ऐसे उत्पाद की कोई वस्तु या माल या पदार्थ या कोई कच्ची सामग्री या विस्तारित चक्र अभिप्रेत है, जो गैसीय, तरल या ठोस अवस्था में प्रसंस्करण के लिए मूल्य रखता हैं, जो पूर्ण रूप से संयोजित या संघटक भाग के रूप में परिदान किए जाने के लिए सक्षम है और जिसका उत्पादन व्यापार या वाणिज्य के लिए किया जाता है, किंतु इसके अंतर्गत मानव ऊतक, रक्त, रक्त उत्पाद और अंग सम्मिलित नहीं हैं ;

(34) "उत्पाद दायित्व" से किसी उत्पाद या सेवा के उत्पाद विनिर्माता या उत्पाद विक्रेता का ऐसे विनिर्मित या विक्रित त्रुटिपूर्ण उत्पाद या उससे संबंधित सेवा में कमी के कारण किसी उपभोक्ता को कारित किसी अपहानि के लिए प्रतिकर के लिए उत्तरदायित्व अभिप्रेत है ;

(35) "उत्पाद दायित्व कार्रवाई" से, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा उसे कारित अपहानि के लिए प्रतिकर का दावा करने के लिए फाइल किया गया परिवाद अभिप्रेत है ;

(36) "उत्पाद विक्रेता" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो—

(i) किसी उत्पाद या उसके भाग को बनाता है ; या

(ii) अन्य द्वारा बनाए गए उनके भागों को संयोजित करता है ; या

(iii) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाए गए किन्हीं उत्पादों पर अपना स्वयं का चिह्न लगाता है या लगवाता है ;

(iv) किसी उत्पाद को बनाता है और ऐसे उत्पाद का विक्रय करता है, वितरण करता है, पट्टे पर देता है, प्रतिस्थापित करता है, तैयार करता है, पैकेजिंग करता है, लेबल लगाता है, विपणन करता है, मरम्मत करता है, अनुरक्षण करता है या अन्यथा ऐसे उत्पाद को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए रखने में अंतर्वलित है ; या

(v) किसी उत्पाद को विक्रय से पहले डिजाइन करता है, उसका उत्पादन करता है, उसे फेब्रिकेट करता है, उसका संनिर्माण करता है या उसका पुन: विनिर्माण करता है ; या

(vi) उत्पाद विक्रेता होने के रूप में ऐसे उत्पाद का विनिर्माता भी है ;

(37) किसी उत्पाद के संबंध में "उत्पाद विक्रेता" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कारबार के अनुक्रम में वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए ऐसे उत्पाद के आयात,

विक्रय, वितरण, पट्टे, प्रतिष्ठापन, तैयारी, पैकेजिंग, लेबल लगाने, विपणन, मरम्मत, अनुरक्षण या अन्यथा अंतर्वलित है और इसके अंतर्गत—

(i) कोई विनिर्माता सम्मिलित है, जो उत्पाद का विक्रेता भी है ; या

(ii) कोई सेवा प्रदाता है,

किंतु उसके अंतर्गत—

(क) स्थावर संपति का विक्रेता तब तक सम्मिलित नहीं है, जब तक ऐसा व्यक्ति निर्मित गृह के विक्रय में या गृहों या फ्लैटों के संनिर्माण में नहीं लगा हुआ है ;

(ख) किसी संव्यवहार व्यावसायिक सेवाओं का प्रदाता सम्मिलित नहीं है जिसमें किसी उत्पाद का विक्रय या उपयोग केवल उससे आनुषंगिक है किंतु कोई राय, कौशल या सेवा प्रदान करना ऐसे संव्यवहार का सार है ;

(ग) ऐसा व्यक्ति,—

(I) ऐसे उत्पाद के विक्रय के संबंध में केवल वित्तीय क्षमता में कार्य करता है ;

(II) कोई विनिर्माता, थोक विक्रेता, वितरक, खुदरा विक्रेता, सीधे विक्रेता या कोई इलैक्ट्रानिक सेवा प्रदाता नहीं है ;

(III) किसी उत्पाद को उस उत्पाद में त्रुटियों का निरीक्षण और उनका पता लगाए जाने के लिए युक्तियुक्त अवसर के बिना उसे किसी पट्टा करार के अधीन पट्टे पर देता है, जिसमें उत्पाद के चयन, कब्जे, अनुरक्षण और प्रचालन का नियंत्रण पट्टाकर्ता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के पास है ;

(38) किसी उत्पाद के संबंध में "उत्पाद सेवा प्रदाता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो ऐसे उत्पाद के संबंध में कोई सेवा प्रदान करता है ;

(39) "विनियम" से, यथास्थिति, केंद्रीय प्राधिकरण या राष्ट्रीय आयोग द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(40) "विनियामक" से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित एक निकाय या प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(41) "अवरोधक व्यापारिक व्यवहार" से ऐसा व्यापारिक व्यवहार अभिप्रेत है जिसका आशय माल या सेवाओं से संबंधित बाजार में कीमत में या उनके परिदान की स्थितियों में ऐसी रीति से व्यवहार कौशल दिखाने या प्रदायों के प्रवाह को प्रभावित करने का है जिससे उपभोक्ता पर अनुचित कीमतें या निर्बन्धन थोपे जा सकें और इसके अंतर्गत—

(i) किसी व्यापारी द्वारा ऐसे माल के प्रदाय में या सेवाएं प्रदान कराने में करार पाई गई अवधि के परे विलंब, जिससे कीमत में वृद्धि हुई है या वृद्धि होने की संभावना हो ;

(ii) ऐसा कोई व्यापारिक व्यवहार जो किसी उपभोक्ता से, यथास्थिति,

किसी अन्य माल या सेवा का, क्रय करने, भाड़े पर लेने या उसका उपभोग करने की, किसी अन्य माल या सेवा का पुरोभाव्य शर्त के रूप में क्रय करने, भाड़े पर लेने या उसका उपभोग करने की अपेक्षा करता है ;

(42) "सेवा" से किसी प्रकार की सेवा अभिप्रेत है जो उसके संभावित उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है और इसके अंतर्गत बैंककारी, वित्तपोषण, बीमा परिवहन, प्रसंस्करण, विद्युत या अन्य ऊर्जा की पूर्ति, दूरसंचार, भोजन या निवास अथवा दोनों गृह निर्माण, मनोरंजन, आमोद-प्रमोद या समाचार या अन्य जानकारी पहुंचाना सम्मिलित है, किंतु इन तक ही सीमित नहीं है, किंतु इसके अंतर्गत निःशुल्क या व्यक्तिगत सेवा संविदा के अधीन सेवा का प्रदान किया जाना नहीं है ;

(43) "नकली माल" से ऐसे माल अभिप्रेत हैं जिनके असली होने का दावा किया गया है जिनका मिथ्या रूप से असली होने का दावा किया गया हैं ;

(44) "राज्य आयोग" से धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग अभिप्रेत है ;

(45) किसी माल के संबंध में "व्यापारी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो विक्रयार्थ किसी माल का विक्रय या वितरण करता है और इसके अंतर्गत उसका विनिर्माता भी है और जहां ऐसे माल का विक्रय या वितरण पैकेज के रूप में किया जाता है वहां इसके अंतर्गत इसका पैकर भी है ;

(46) "अनुचित संविदा" से एक और विनिर्माता या व्यापारी या सेवा प्रदाता और दूसरी ओर किसी उपभोक्ता के बीच ऐसी संविदा अभिप्रेत है, जिसके ऐसे निबंधन हैं, जो ऐसे उपभोक्ता के अधिकारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन करती हैं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित है, अर्थात् :—

(i) संविदायी बाध्यताओं के निष्पादन के लिए उपभोक्ता से स्पष्टत: अत्यधिक सुरक्षा जमा की अपेक्षा करते हैं ; या

(ii) संविदा के भंग के लिए उपभोक्ता पर कोई शास्ति अधिरोपित करते हैं, जो कि संविदा में अन्य पक्षकार को ऐसे भंग के कारण उदभूत नुकसान से पूर्णतया अननुपातिक है ; या

(iii) लागू शास्ति के संदाय पर ऋणों के पूर्व पुन: संदाय को स्वीकार करने से इंकार करना ; या

(iv) बिना युक्तियुक्त कारण के ऐसी संविदा में संविदा के पक्ष को एकतरफा रूप से ऐसी संविदा को समाप्त करने के लिए हकदार बनाना ; या

(v) किसी एक पक्ष को संविदा को अन्य पक्षकार, जो उपभोक्ता है, की सहमति के बिना प्रतिकूल रूप से समनुदेशित करने के लिए अनुज्ञात करना या अनुज्ञात करने को प्रभावी करना ; या

(vi) उपभोक्ता पर ऐसे प्रभार, बाध्यता या शर्तें अधिरोपित करना, जो युक्तियुक्त नहीं है तथा ऐसे उपभोक्ता के प्रतिकूल हैं ।

(47) "अनुचित व्यापारिक व्यवहार" से ऐसा व्यापारिक व्यवहार अभिप्रेत है

जिसमें किसी माल के विक्रय, उपयोग या प्रदाय के संप्रवर्तन के प्रयोजन के लिए अथवा किसी सेवा की व्यवस्था के लिए, कोई अनुचित पद्धति अथवा अनुचित या प्रबंधक व्यवहार जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कोई व्यवहार है, अपनाया जाता है, अर्थात् :—

(i) मौखिक रूप से या लिखित रूप में या दृश्यरूपेण द्वारा कोई ऐसा कथन, जिसमें,—

(क) यह मिथ्या व्यपदेशन किया जाता है कि माल किसी विशिष्ट स्तरमान, क्वालिटी, मात्रा, श्रेणी, संरचना, अधिमान या माडल का है ;

(ख) यह मिथ्या व्यपदेशन किया जाता है कि सेवाएं किसी विशिष्ट स्तरमान, क्वालिटी या श्रेणी की हैं ;

(ग) किसी पुनर्निर्मित बरते हुए, नवीकृत, दुरस्त किए गए या पुराने माल के नया माल होने का मिथ्या व्यपदेशन किया गया है ;

(घ) यह व्यपदेशन किया जाता है कि माल या सेवाओं को ऐसा प्रयोजन, अनुमोदन, कार्यकरण, लक्षण, उपसाधन, प्रयोग या फायदे प्राप्त हैं जो कि ऐसे माल या सेवाओं के नहीं हैं ;

(ङ) यह व्यपदेशन किया जाता है कि विक्रेता या प्रदायकर्ता को ऐसा प्रयोजन या अनुमोदन या सहबद्धता प्राप्त है जो ऐसे विक्रेता या प्रदायकर्ता को प्राप्त नहीं है ;

(च) किसी माल या सेवाओं की आवश्यकता या उपयोगिता से संबंधित कोई मिथ्या या भ्रामक व्यपदेशन किया जाता है ;

(छ) जनता को किसी उत्पाद के या किसी माल के निष्पादन, प्रभावकारिता या अस्तित्व की दीर्घता की, जो उसके यथायोग्य या समुचित परीक्षण पर आधारित नहीं है, कोई वारंटी या प्रत्याभूति दी जाती है :

परंतु जहां इस आशय की प्रतिरक्षा की जाती है कि ऐसी वारंटी या प्रत्याभूति पर्याप्त या समुचित परीक्षण पर आधारित है वहां ऐसी प्रतिरक्षा के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जो ऐसी प्रतिरक्षा ले रहा है ;

(ज) जनता को इस रूप में व्यपदेशन किया जाता है जो—

(क) किसी उत्पाद या किसी माल या सेवाओं की वारंटी या प्रत्याभूति ; या

(ख) किसी वस्तु या उसके किसी भाग को प्रतिस्थापित, अनुरक्षित या उसकी मरम्मत करने या किसी सेवा को दोहराने या तब तक जारी रखने का आश्वासन जब तक विनिर्दिष्ट परिणाम हासिल न कर लिया जाए,

यदि ऐसी तात्पर्यित वारंटी या प्रतिभूति या आश्वासन तात्विक रूप से

भ्रामक हो या इस बात की युक्तियुक्त संभावना हो कि ऐसी वारंटी, प्रत्याभूमि या आश्वासन को पूरा नहीं किया जाएगा ।

(झ) देने के लिए तात्पर्यित यदि ऐसी तात्पर्यित वारंटी या प्रत्याभूति या वचन तात्विक रूप से भ्रामक है अथवा यदि इस बात की कोई युक्तियुक्त आशा नहीं है कि ऐसी वारंटी, प्रत्याभूति या वचन का पालन किया जाएगा उस कीमत के बारे में जनता को तात्विक रूप से भुलावा दिया जाता है जिस पर किसी उत्पाद या वैसे ही उत्पाद या माल या सेवा का मामूली तौर पर विक्रय किया जाता है अथवा वह प्रदान की जाती है, तथा इस प्रयोजन के लिए कीमत के बारे में किसी व्यपदेशन को इस कीमत के प्रति निर्देश करने वाला समझा जाएगा जिस पर सुसंगत बाजार में साधारण तथा वह उत्पाद या माल विक्रेताओं द्वारा विक्रय किया गया है, या सेवाएं प्रदायकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई हैं, जब तक कि यह स्पष्ट तथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो कि यह वह कीमत है, जिस पर वह उत्पाद उस व्यक्ति द्वारा विक्रय किया गया है, जिसके द्वारा या इसके निमित्त व्यपदेशन किया गया है ;

(ञ) ऐसे मिथ्या या भ्रामक तथ्य दिया जाता है जो किसी अन्य व्यक्ति के माल, सेवाओं या व्यापार की अवमानना करते हैं ।

स्पष्टीकरण--खंड (i) के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कथन के बारे में, जो—

(क) विक्रय के लिए प्रस्थापित या संप्रदर्शित किसी वस्तु पर या उसके रैपर या आधान पर अभिव्यक्ति है ; या

(ख) विक्रय के लिए प्रस्थापित या संप्रदर्शित किसी वस्तु से संलग्न, उसमें रखी हुई या उसके साथ की किसी चीज पर या किसी ऐसी चीज पर, जिस पर वह वस्तु संप्रदर्शन या विक्रय के लिए मढ़ी हुई है, अभिव्यक्ति है ; या

(ग) किसी ऐसी वस्तु में या उस पर अंतर्विष्ट है जो जनता को विक्रय की जाती है, भेजी जाती है, परिदान की जाती है, पारेषित की जाती है या किसी भी अन्य रीति से उपलब्ध कराई जाती है,

यह समझा जाएगा कि वह ऐसा कथन है जो जनता को उस व्यक्ति द्वारा और केवल उस व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसने इस कथन को इस प्रकार अभिव्यक्त, तैयार या अंतर्विष्ट कराया था ;

(ii) ऐसे माल या सेवाओं के किसी रियायती कीमत पर विक्रय या प्रदाय के लिए, जो उस रियायती कीमत पर विक्रय या प्रदाय के लिए प्रस्थापित की जाने के लिए, आशयित नहीं है या ऐसी अवधि के लिए जो उन मात्राओं में जो उस बाजार के स्वरूप को, जिसमें कारबार किया जाता है, कारबार के स्वरूप और आकार को तथा विज्ञापन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है, किसी समाचारपत्र में या अन्यथा किसी विज्ञापन के प्रकाशन की अनुज्ञा देता है ।

स्पष्टीकरण—खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए, "सौदा कीमत" से—

(अ) ऐसी कीमत अभिप्रेत है जो किसी विज्ञापन में, मामूली कीमत के प्रति निर्देश से या अन्यथा रियायती कीमत बताई गई है ; या

(आ) ऐसी कीमत अभिप्रेत है जो ऐसा व्यक्ति, जो उस विज्ञापन को पढ़ता, सुनता या देखता है, उन कीमतों को ध्यान में रखते हुए जिन पर विज्ञापित उत्पाद या वैसे ही उत्पाद मामूली तौर पर बेचे जाते हैं, युक्तियुक्त रूप से रियायती कीमत समझेगा ;

(iii) अनुज्ञात करना—

(क) दान या इनामों या अन्य वस्तुओं को आफर की जाने की अनुज्ञा देता है किंतु जिन्हें आफर किए गए रूप में दिए जाने का कोई आशय नहीं होता है अथवा जिनसे यह धारणा उत्पन्न होती है कि कोई चीज मुफ्त नहीं दी जा रही है या आफर की जा रही है, जबकि उसकी कीमत पूर्णतः या भागतः उस रकम में आ जाती है जो उस संपूर्ण संव्यवहार में प्रभारित की जाती है ; किसी उत्पाद या कोई कारबार हित के प्रोत्साहन प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, विक्रय, उपयोग या प्रदाय के प्रयोजन के लिए कोई प्रतियोगिता, लाटरी, अवसर या कौशल के खेल का संचालन करना ;

(ख) किसी उत्पाद के विक्रय, उपयोग या प्रदाय का अथवा किसी कारबार हित का, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, संवर्धन करने के प्रयोजन के लिए, सिवाय ऐसी प्रतियोगिता, लाटरी, संयोग प्रधान या कौशल प्रधान खेल, जो विहित किया जाए, किसी प्रतियोगिता, लाटरी, संयोग प्रधान या कौशल प्रधान खेल के संचालन की अनुज्ञा देता है ;

(ग) दान, ईनाम या निःशुल्क अन्य वस्तुएं प्रस्थापित करने वाली किसी स्कीम के भागीदारों से, उसके बंद हो जाने पर स्कीम के अंतिम परिणामों के बारे में जानकारी को रोकने की अनुज्ञा देता है ।

स्पष्टीकरण—उपखंड (iii) के प्रयोजनों के लिए, किसी स्कीम के भागीदारों को स्कीम के अंतिम परिणामों की जानकारी दे दी गई समझी जाएगी, जहां ऐसे परिणाम युक्तियुक्त समय के भीतर उसी समाचारपत्र में प्रमुख रूप से प्रकाशित कर दिए जाते हैं जिसमें स्कीम मूल रूप से विज्ञापित की गई थी ;

(iv) ऐसे माल के विक्रय या प्रदाय की, जो उपभोक्ताओं द्वारा प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित है या इस किस्म का है जो उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए संभाव्य है, यह जानते हुए, या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए अनुज्ञा देता है कि वह माल निष्पादन, संरचना, अंतर्वस्तु, डिजाइन, संनिर्माण, परिरूप या पैक करने के संबंध में, जो माल का उपयोग करने वाले व्यक्ति की क्षति की जोखिम का निवारण करने या उसे कम करने के लिए आवश्यक है, उन स्तरमानों के अनुरूप नहीं है जो सक्षम प्राधिकारी

द्वारा विहित किए गए हैं ;

(v) माल की जमाखोरी या उसके नष्ट किए जाने की अनुज्ञा देता है या माल के विक्रय किए जाने अथवा विक्रय के लिए उसके उपलब्ध कराए जाने या कोई सेवा प्रदान करने से इंकार करता है, यदि ऐसी जमाखोरी या नष्ट किए जाने या इंकार किए जाने से उसका या अन्य समरूप माल या सेवाओं का दाम बढ़ जाता है या बढ़ने की ओर उसकी प्रवृत्ति होती है यह वह बढ़ने के लिए आशयित होता है ;

(vi) नकली माल के विनिर्मित या विक्रय के लिए ऐसे माल की प्रस्थापना करने या सेवाओं के उपबंध में प्रवंचन व्यवहार अपनाने की अनुज्ञा देता है ;

(vii) विक्रय किए गए माल या दी गई सेवाओं के लिए बीजक या कैश मैमो या रसीद ऐसी रीति में जारी न करना, जो विहित की जाए ;

(viii) माल का विक्रय करने या सेवा देने के पश्चात् त्रुटिपूर्ण मालों को वापस लेने या उनका प्रत्याह्वन करने या कम दी गई सेवाओं को समाप्त करने तथा उनके लिए प्रतिफल का प्रतिदाय, यदि संदत्त किया गया हो, को बीजक या कैश मीमो या रसीद में उपदर्शित अवधि या ऐसे उपदर्शन के अभाव में तीस दिन की अवधि के भीतर वापस करने से इंकार कर देता है ;

(ix) उपभोक्ता द्वारा विश्वासपूर्वक दी गई वैयक्तिक जानकारी का किसी अन्य व्यक्ति को प्रकटन जब तक कि ऐसा प्रकटन तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसार न किया गया हो ।

अध्याय 2

उपभोक्ता संरक्षण परिषद्

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् ।

3. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, केंद्रीय परिषद् के नाम से ज्ञात केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् स्थापित कर सकेगी ।

(2) केंद्रीय परिषद् एक सलाहकार परिषद् होगी और यह निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) केंद्रीय सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग का प्रभारी मंत्री, जो अध्यक्ष होगा, और

(ख) ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले उतने शासकीय या गैर-शासकीय सदस्य, जो विहित किए जाएं ।

केंद्रीय परिषद् की बैठकों की प्रक्रिया ।

4. (1) केंद्रीय परिषद् की बैठक आवश्यकतानुसार होगी किंतु प्रत्येक वर्ष में परिषद् का कम से कम एक बैठक की जाएगी ।

(2) केंद्रीय परिषद् की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी, जो अध्यक्ष ठीक समझे और वह अपने कारबार के संव्यवहार की बाबत ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी, जो विहित की जाए ।

केंद्रीय परिषद् के उद्देश्य ।

5. केंद्रीय परिषद् का उद्देश्य इस अधिनियम के अधीन उपभोक्ताओं के अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण पर सलाह देना होगा ।

राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदें ।

6. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, राज्य परिषद् के नाम से ज्ञात एक राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की स्थापना करेगी ।

(2) राज्य परिषद् एक सलाहकार परिषद् होगी और यह निम्नलिखित सदस्य से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) राज्य सरकार में उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री, जो उसका अध्यक्ष होगा ;

(ख) ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले उतने शासकीय या गैर-शासकीय सदस्य, जो विहित किए जाएं ।

(ग) दस से अनधिक उतने शासकीय या गैर-शासकीय, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) राज्य परिषद् की बैठक आवश्यकतानुसार होगी किंतु प्रत्येक वर्ष में परिषद् की कम से कम दो बैठक की जाएगी ।

(4) राज्य परिषद् की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी, जो अध्यक्ष ठीक समझे और वह अपने कारबार के संव्यवहार की बाबत ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी, जो विहित की जाए ।

राज्य परिषद् के उद्देश्य ।

7. प्रत्येक राज्य परिषद् के उद्देश्य राज्य के भीतर इस अधिनियम के अधीन उपभोक्ता अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के संबंध में सलाह देना होगा ।

जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् ।

8. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले में, ऐसी तारीख से, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, जिला परिषद् के नाम से ज्ञात एक जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की स्थापना करेगी ।

(2) जिला परिषद् एक सलाहकार परिषद् होगी और यह निम्नलिखित सदस्य से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) जिले का कलक्टर (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो), जो उसका अध्यक्ष होगा ; और

(ख) ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले उतने शासकीय या गैर-शासकीय सदस्य, जो विहित किए जाएं ।

(3) जिला परिषद् की बैठक आवश्यकतानुसार होगी किंतु प्रत्येक वर्ष में परिषद् की कम से कम दो बैठकें की जाएंगी ।

(4) जिला परिषद् की बैठक जिले में ऐसे समय और स्थान पर होगी, जो अध्यक्ष ठीक समझे और वह अपने कारबार के संव्यवहार की बाबत ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी, जो विहित की जाए ।

जिला परिषद् के उद्देश्य ।

9. प्रत्येक जिला परिषद् का उद्देश्य जिले के भीतर, इस अधिनियम के अधीन उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण पर सलाह देना होगा ।

अध्याय 3

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना ।

10. (1) केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जो वह उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, केंद्रीय प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित विषयों, अनुचित व्यापार व्यवहारों और मिथ्या या भ्रामक विज्ञापनों, जो जनता और उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल हैं, का विनियमन करने और एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्धन, संरक्षण और प्रवर्तन करने के लिए गठन करेगी ।

(2) केंद्रीय प्राधिकरण एक मुख्य आयुक्त और उतनी संख्या में, जो विहित की जाए, अन्य आयुक्तों से मिलकर बनेगा, जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए की जाएगी ।

(3) केंद्रीय प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में ऐसे स्थान पर होगा और भारत में ऐसे स्थानों पर इसके प्रादेशिक और अन्य कार्यालय होंगे, जो केंद्रीय सरकार विनिश्चय करे ।

मुख्य आयुक्त और आयुक्तों की अर्हताएं, भर्ती की पद्धति आदि ।

11. केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा केंद्रीय प्राधिकरण के मुख्य आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति के लिए अर्हताओं, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाने और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों का उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगी ।

रिक्ति आदि से केंद्रीय प्राधिकरण की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।

12. केंद्रीय प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि,—

(क) केंद्रीय प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) मुख्य आयुक्त या आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि ; या

(ग) केंद्रीय प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं कर रही है ।

केंद्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों, विशेषज्ञों, वृत्तिकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति ।

13. (1) केंद्रीय सरकार, केंद्रीय प्राधिकरण को उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जो वह इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।

(2) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त केंद्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(3) केंद्रीय प्राधिकरण विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सत्यनिष्ठा और योग्यता रखने वाले उतने विशेषज्ञ और वृत्तिकों को, जिनके पास उपभोक्ता अधिकार और कल्याण, उपभोक्ता नीति, विधि, चिकित्सा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, इंजीनियरी, उत्पाद सुरक्षा, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक मामले या प्रशासन के क्षेत्र में विशेष जानकारी और अनुभव है, को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में

नियोजित कर सकेगी, जो वह ठीक समझे ।

केंद्रीय प्राधिकरण की प्रक्रिया ।

14. (1) केंद्रीय प्राधिकरण अपने कारबार के संव्यवहार और मुख्य आयुक्त तथा आयुक्तों के बीच कारबार के आबंटन को विनियमित करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) मुख्य आयुक्त के पास केंद्रीय प्राधिकरण के सभी प्रशासनिक विषयों के संबंध में साधारण अधीक्षण, निदेश और नियंत्रण की शक्तियां होंगी :

परंतु मुख्य आयुक्त केंद्रीय प्राधिकरण के प्रशासनिक विषयों से संबंधित अपनी ऐसी शक्तियों को किसी आयुक्त (जिसके अंतर्गत किसी प्रादेशिक कार्यालय का आयुक्त है) या केंद्रीय प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

अन्वेषण खंड ।

15. (1) केंद्रीय प्राधिकरण के पास इस अधिनियम के अधीन जांच या अन्वेषण संचालित करने के प्रयोजन के लिए, जैसा कि केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा निदेश दिया जाए, महानिदेशक की अध्यक्षता में एक अन्वेषण खंड होगा ।

(2) केंद्रीय सरकार उन व्यक्तियों में से, जिनके पास अन्वेषण का अनुभव है और ऐसी अर्हता रखते हैं, में से ऐसी रीति में महानिदेशक और उतने अपर महानिदेशक, निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक नियुक्त कर सकेगी, जो विहित किया जाए ।

(3) प्रत्येक अपर महानिदेशक, निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक अपनी शक्तियों का उपयोग और कृत्यों का निर्वहन महानिदेशक के साधारण नियंत्रण, अधीक्षण और निदेश के अधीन रहते हुए करेगा ।

(4) महानिदेशक अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों को, यथास्थिति, अपर महानिदेशक या निदेशक या संयुक्त निदेशक या उप निदेशक या सहायक निदेशक को इस अधिनियम के अधीन जांच या अन्वेषण करने के लिए प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

(5) महानिदेशक द्वारा की गई जांच या अन्वेषणों को केंद्रीय प्राधिकरण को ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत किया जाएगा ।

जिला कलेक्टर की शक्ति ।

16. जिला कलेक्टर (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो), किसी परिवार या केंद्रीय प्राधिकरण या प्रादेशिक कार्यालय के आयुक्त द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर अपनी अधिकारिता के भीतर एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संबंध में परिवादों या उल्लंघन की, उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में विषयों की, अनुचित व्यापार व्यवहारों और मिथ्या या भ्रामक विज्ञापनों की जांच करेगा या अन्वेषण करेगा और अपनी रिपोर्ट को, यथास्थिति, केंद्रीय प्राधिकरण या प्रादेशिक कार्यालय के आयुक्त को प्रस्तुत करेगा ।

प्राधिकारियों को शिकायतें ।

17. उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन या अनुचित व्यापार व्यवहारों या मिथ्या या भ्रामक विज्ञापनों, जो एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल है, के संबंध में शिकायत को लिखित में या इलैक्ट्रानिक ढंग से किसी एक प्राधिकारी को अर्थात् जिला कलेक्टर या आयुक्त, प्रादेशिक कार्यालय या केंद्रीय प्राधिकरण को अग्रेषित किया जाएगा ।

केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य ।

18. (1) केंद्रीय प्राधिकरण—

(क) एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण, संवर्धन और प्रवर्तन करेगा तथा इस अधिनियम के अधीन उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन का निवारण करेगा ;

(ख) अनुचित व्यापार व्यवहारों का निवारण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कोई व्यक्ति अनुचित व्यापार व्यवहारों में न लगे ;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि किन्हीं मालों या सेवाओं का कोई ऐसा मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन न किया जाए, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है ;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि कोई व्यक्ति ऐसे किसी विज्ञापन के प्रकाशन में भाग न ले, जो मिथ्या या भ्रामक है ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केंद्रीय प्राधिकरण पूर्वोक्त किसी भी प्रयोजन के लिए,—

(क) या तो स्व:प्रेरणा से या प्राप्त शिकायत पर या केंद्रीय सरकार के निदेश पर उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के लिए कोई जांच या अन्वेषण करेगा या करना कारित कर सकेगा ;

(ख) जिला आयोग के समक्ष शिकायतों को यथास्थिति, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष इस अधिनियम के अधीन शिकायतों को फाइल कर सकेगा ;

(ग) यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष उपभोक्ता अधिकारों या अनुचित व्यापार व्यवहार के संबंध में अधिकथित उल्लंघन के संबंध में कार्यवाहियों में मध्यक्षेप कर सकेगा ;

(घ) उपभोक्ता अधिकारों का उपयोग करने से संबंधित मामलों और उनका उपभोग करने से रोकने वाले कारकों, जिसके अंतर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए उपबंधित सुरक्षोपायों का पुनर्विलोकन और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समुचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश कर सकेगा ;

(ङ) उपभोक्ता अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं और सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों को अंगीकार करने की सिफारिश कर सकेगा ताकि उपभोक्ता अधिकारों के प्रभावी प्रवर्तन का सुनिश्चय किया जा सके ;

(च) उपभोक्ता अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान और उसका संवर्धन कर सकेगा ;

(छ) उपभोक्ता अधिकारों पर जागरुकता का प्रसार और संवर्धन कर सकेगा ;

(ज) उपभोक्ता अधिकारों के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संस्थाओं को उपभोक्ता संरक्षण अभिकरणों के साथ सहयोग और कार्य करने

के लिए प्रोत्साहित करना ;

(झ) ऐसे मालों में विशिष्ट और सार्वभौमिक माल पहचानकर्ताओं के उपयोग का आदेश करना, जो अनुचित व्यापार व्यवहारों को निवारित करने और उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए आवश्यक हों ;

(ञ) खतरनाक या परिसंकटमय या असुरक्षित मालों या सेवाओं के विरुद्ध उपभोक्ताओं को सावधान करने के लिए सुरक्षा सूचनाएं जारी करना ;

(ट) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों और विभागों को उपभोक्ता कल्याण उपायों पर सलाह देना ;

(ठ) अनुचित व्यापार व्यवहारों को निवारित करने के लिए और उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण के लिए आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना ।

केंद्रीय प्राधिकरण की मामले को, अन्वेषण करने के लिए अन्य विनियामक को निर्दिष्ट करने की शक्ति ।

19. (1) केंद्रीय प्राधिकरण केंद्रीय सरकार से या स्वत: किसी सूचना या शिकायत या निदेश को प्राप्त करने के पश्चात् यह जांचने के लिए कि क्या प्रथमदृष्ट्या किसी व्यक्ति द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन या किसी अनुचित व्यापार व्यवहार या किसी मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन का कोई मामला विद्यमान है, जो लोक हित या उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल है, एक प्रारंभिक जांच करेगा या करना कारित करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि प्रथमदृष्टया कोई मामला विद्यमान है तो वह महानिदेशक या जिला कलेक्टर द्वारा अन्वेषण करना कारित करेगा ।

(2) जहां प्रारंभिक जांच के पश्चात् केंद्रीय प्राधिकरण की यह राय है कि इस मामले पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन स्थापित विनियामक द्वारा व्यौहार किया जाना चाहिए तो वह ऐसे मामले को अपनी रिपोर्ट के साथ संबंधित विनियामक को निर्दिष्ट कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय प्राधिकरण उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को बुला सकेगा और उसके कब्जे में किसी दस्तावेज या अभिलेख को प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगा ।

केंद्रीय प्राधिकरण की मालों आदि को वापस मंगाने की शक्ति ।

20. जहां केंद्रीय प्राधिकरण का अन्वेषण के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन या अनुचित व्यापार व्यवहार को उपदर्शित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है तो वह ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो आवश्यक हो, जिसके अंतर्गत–

(क) ऐसे मालों को वापस लेना या ऐसी सेवाओं का प्रत्याहन है जो खतरनाक, परिसंकटमय या असुरक्षित हैं ;

(ख) ऐसे मालों या सेवाओं के क्रय क्रर्ताओं को इस प्रकार वापस लिए गए मालों या सेवाओं की कीमतों का प्रतिदाय ; और

(ग) ऐसे व्यवहारों को बंद करना, जो अनुचित हैं और उपभोक्ता के हितों के प्रतिकूल हैं :

परंतु केंद्रीय प्राधिकरण व्यक्ति को इस धारा के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा ।

केंद्रीय प्राधिकरण की मिथ्या या भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध निदेश जारी करने की शक्ति ।

21. (1) जहां अन्वेषण के पश्चात् केंद्रीय प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि कोई विज्ञापन मिथ्या या भ्रामक है और किसी उपभोक्ता के हित के प्रतिकूल है या उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन में है, वह आदेश द्वारा, यथास्थिति, संबंधित व्यापारी या विनिर्माता या पृष्ठांकक या विज्ञापनकर्ता या प्रकाशक को ऐसे विज्ञापन को बंद करने के लिए या उसे ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, उपांतरित करने का निदेश दे सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश के होते हुए भी यदि केंद्रीय प्राधिकरण की यह राय है कि विनिर्माता या किसी पृष्ठांकक द्वारा ऐसे मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन के संबंध में शास्ति अधिरोपित करना आवश्यक है तो वह विनिर्माता या पृष्ठांकक पर कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो दस लाख रुपए तक हो सकेगी :

परंतु केंद्रीय प्राधिकरण विनिर्माता या पृष्ठांकक द्वारा प्रत्येक पश्चातवर्ती उल्लंघन की दशा में शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो पचास लाख रुपए तक हो सकेगी ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन किसी आदेश के होते हुए भी, जहां केंद्रीय प्राधिकरण यह आवश्यक समझती है तो वह आदेश द्वारा किसी मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन के पृष्ठांकक को किसी उत्पाद या सेवा का पृष्ठांकन करने से ऐसी अवधि के लिए, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, प्रतिषिद्ध कर सकेगा :

परंतु केंद्रीय प्राधिकरण प्रत्येक पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए ऐसे पृष्ठांकक को किसी उत्पाद या सेवा के संबंध में ऐसी अवधि के लिए पृष्ठांकन करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी ।

(4) जहां केंद्रीय प्राधिकरण का अन्वेषण करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति को किसी भ्रामक विज्ञापन का प्रकाशक या ऐसे प्रकाशन में पक्षकार पाया जाता है तो वह ऐसे व्यक्ति पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो दस लाख रुपए तक हो सकेगी ।

(5) कोई पृष्ठांकक उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन शास्ति का दायी नहीं होगा, यदि उसने उसके द्वारा पृष्ठांकित किए जा रहे उत्पाद या सेवा के संबंध में विज्ञापन में किए गए दावों की सत्यता का सत्यापन करने के लिए सम्यक् सावधानी बरती है ।

(6) कोई व्यक्ति ऐसी शास्ति के लिए दायी नहीं होगा यदि वह यह साबित कर देता है कि उसने ऐसे विज्ञापन के प्रकाशन को अपने कारबार के साधारण प्रक्रम में प्रकाशित किया था या प्रकाशन का प्रबंध किया था :

परंतु ऐसे व्यक्ति को ऐसा कोई बचाव उपलब्ध नहीं होगा यदि उसे केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा ऐसे विज्ञापन के प्रतिसंहरण या उपांतरण के लिए पारित किए गए किसी पूर्ववर्ती आदेश की जानकारी थी ।

(7) इस धारा के अधीन शास्ति का अवधारण करते समय निम्नलिखित का ध्यान रखा जाएगा, अर्थात् :—

(क) ऐसे अपराध द्वारा समाघात किए गए या प्रभावित क्षेत्र की जनसंख्या ;

(ख) ऐसे अपराध की आवर्ती और अवधि ;

(ग) ऐसे अपराध द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के वर्ग की भेद्यता ; और

(घ) ऐसे अपराध द्वारा प्रभावित बिक्री से समग्र राजस्व ।

(8) केंद्रीय प्राधिकरण व्यक्ति को इस धारा के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा ।

तलाशी और अधिग्रहण ।

22. (1) धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन आरंभिक जांच करने के पश्चात् कोई अन्वेषण संचालित करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, महानिदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी या जिला कलेक्टर यदि उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण है कि किसी व्यक्ति ने उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन किया है या कोई अनुचित व्यापार व्यवहार या कोई मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन कारित किया है, तो वह,--

(क) किसी युक्तियुक्त समय पर ऐसे परिसर में दाखिल होगा और किसी दस्तावेज या अभिलेख या चीज या साक्ष्य के किसी अन्य रूप के लिए तलाशी करेगा और ऐसे दस्तावेज, अभिलेख, चीज या ऐसे साक्ष्य को अभिग्रहण करेगा ;

(ख) ऐसे अभिलेख या चीज को नोट करेगा या उसकी सूची बनाएगा ; या

(ग) किसी व्यक्ति से किसी अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज या चीज को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

1974 का 2

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो वह उस अधिनियम के अधीन तलाशी और अभिग्रहण है ।

(3) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अभिग्रहण किया गया या उस उपधारा के खंड (ग) के अधीन प्रस्तुत प्रत्येक दस्तावेज, अभिलेख या चीज को उस व्यक्ति को, यथास्थिति, ऐसे अभिग्रहण या प्रस्तुत करने की तारीख से बीस दिन के भीतर, उनकी प्रतियों को या उनसे उद्धरणों को उस व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रमाणित करने के पश्चात् उन प्रतियों को लेने के पश्चात् लौटा दिया जाएगा, जिससे उनका अभिग्रहण किया गया था या जिसने उन्हें प्रस्तुत किया था ।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन अभिग्रहण की गई चीज द्रुत या प्राकृतिक अवक्षयण के अधीन है तो महानिदेशक या अन्य अधिकारी उस चीज का ऐसी रीति में निपटान कर सकेगा, जो विहित की जाए ।

(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट चीजों से भिन्न अन्य चीजों की दशा में धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (ग) में अंतर्विष्ट उपबंध यथा आवश्यक उपांतरणों सहित किसी विश्लेषण या परीक्षण को लागू होंगे ।

केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए किसी कानूनी प्राधिकरण या निकाय का पदनाम ।

23. केंद्रीय सरकार यदि आवश्यक समझे, अधिसूचना द्वारा किसी कानूनी प्राधिकरण या निकाय पर धारा 10 में निर्दिष्ट केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियों का उपयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए पदाभिहित कर सकती है ।

अपील ।

24. धारा 20 और धारा 21 के अधीन केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति राष्ट्रीय आयोग को ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अपील कर सकेगा ।

केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

25. केंद्रीय सरकार संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक् उपयोजन के पश्चात् केंद्रीय प्राधिकरण को ऐसी धनराशियों का अनुदान कर सकेगी, जो केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए आवश्यक समझे ।

लेखे और संपरीक्षा ।

26. (1) केंद्रीय प्राधिकरण उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए, लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा ।

(2) केंद्रीय प्राधिकरण के लेखाओं की भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, संपरीक्षा की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक को संदेय होगा ।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक और केंद्रीय प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति को उस संपरीक्षा के संबंध मे वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के हैं और विशेष रूप से लेखा पुस्तकों, लेखाओं, संबद्ध वाऊचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागज-पत्र पेश करने की मांग करने तथा केंद्रीय प्राधिकरण और उसके द्वारा स्थापित कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक या केंद्रीय प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित केंद्रीय प्राधिकरण के लेखे उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रूप से केंद्रीय सरकार को भेजे जाएंगे और वह सरकार उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

वार्षिक रिपोर्टों आदि का प्रस्तुत किया जाना ।

27. (1) केंद्रीय प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष ऐसे प्ररूप और ऐसे समय में, जो विहित किया जाए पूर्व वर्ष में अपने कार्यकलापों का पूर्ण लेखा देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट और अन्य ऐसी रिपोर्टें और विवरणियां तैयार करेगा, जो निदेश किया जाए और ऐसी रिपोर्ट और विवरणियों को केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट की प्रति उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथा शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

अध्याय 4

उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना ।

28. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक राज्य में जिला आयोग के नाम से ज्ञात जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का गठन करेगी :

परंतु राज्य सरकार यदि उचित समझे तो किसी जिले में एक से अधिक जिला आयोग स्थापित कर सकेगी ।

(2) प्रत्येक जिला आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(क) अध्यक्ष ; और

(ख) दो से अन्यून और ऐसी संख्या से अनधिक सदस्य, जो केंद्रीय सरकार के परामर्श से विहित किए जाएं ।

जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं आदि ।

29. केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताओं, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, पदावधि, त्यागपत्र, पद से हटाने का उपबंध करने के लिए उपबंध कर सकेगी ।

जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ।

30. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों का उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगी ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

31. इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व जिला आयोग का, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपनी पदावधि तक अपना पद धारण करेगा, जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई है ।

जिला आयोग के सदस्य के पद की रिक्ति ।

32. यदि किसी समय जिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के पद की रिक्ति होती है तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा,—

(क) उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी अन्य जिला आयोग को उस जिले के संबंध में भी अधिकारिता का उपयोग करने का निदेश दे सकेगी ; या

(ख) उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी अन्य जिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को उस जिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की शक्तियों का उपयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने का भी निदेश दे सकेगी ।

जिला आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ।

33. (1) राज्य सरकार, जिला आयोग को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जो जिला आयोग को उसके कृत्यों के निर्वहन करने में सहायता करने के लिए अपेक्षित हों ।

(2) जिला आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी जिला आयोग के अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे ।

(3) जिला आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

जिला आयोग की अधिकारिता ।

34. (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए जिला आयोग को वहां परिवादों को स्वीकार करने की अधिकारिता होगी जहां वस्तुओं या सेवाओं के प्रतिफल के रूप में संदत्त मूल्य एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है :

परंतु जहां केंद्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो वह ऐसा अन्य मूल्य विहित कर सकेगी, जो वह ठीक समझे ।

(2) किसी जिला आयोग की स्थानीय सीमाओं में कोई परिवाद संस्थित किया

जाएगा, जिसकी अधिकारिता में,—

(क) परिवाद आरंभ करने के समय विरोधी पक्षकार या प्रत्येक विरोधी पक्षकार, जहां एक से अधिक हैं, साधारणतया निवास करता है या कारबार करता है या उसका शाखा कार्यालय है या अभिलाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है ; या

(ख) परंतु यह कि परिवाद आरंभ करने के समय कोई विरोधी पक्षकार या प्रत्येक विरोधी पक्षकार, जहां एक से अधिक हैं, वास्तव में और स्वैच्छिक रूप से निवास करते हैं या अपना कारबार करते हैं या उनका कोई शाखा कार्यालय है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं, इस दशा में कि जिला आयोग की अनुज्ञा दी गई है ; या

(ग) वाद हेतुक पूर्णतया या भागत: उद्भूत होता है ; या

(घ) परिवादकर्ता निवास करता है या लाभ के लिए व्यक्तिक रूप से कार्य करता है ।

(3) जिला आयोग साधारणतया जिला मुख्यालय में कार्य करेगा और जिले में ऐसे अन्य स्थानों पर कार्य करेगा, जैसा राज्य सरकार राज्य आयोग के परामर्श से समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचित करें ।

वह रीति, जिसमें परिवाद किया जाएगा ।

35. (1) विक्रय की गई किसी वस्तु या परिदत्त की गई या बिक्री की गई या परिदत्त की गई या उपलब्ध कराई गई किसी सेवा या उपलब्ध कराए जाने के लिए सहमति दी गई किसी सेवा के संबंध में परिवाद को जिला आयोग के पास फाइल किया जा सकेगा, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिकी ढंग भी है—

(क) उपभोक्ता,—

(i) जिसे ऐसे मालों का विक्रय किया गया है या परिदान किया गया है या विक्रय करने या परिदान करने की सहमति दी गई है या ऐसी सेवा उपलब्ध कराई गई है या उपलब्ध कराए जाने के लिए सहमति दी है ; या

(ii) जो ऐसे मालों या सेवाओं के संबंध में अनुचित व्यापार व्यवहार का अभिकथन करता है ;

(ख) कोई मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम, चाहे वह उपभोक्ता, जिसे ऐसे मालों का विक्रय किया गया है या परिदान किया गया है या जिसे ऐसे मालों का विक्रय करने या परिदान करने की सहमति दी गई है या ऐसी सेवा प्रदान की गई है या प्रदान करने की सहमति दी गई है या जो ऐसे मालों या सेवाओं के संबंध में अनुचित व्यापार व्यवहार का अभिकथन करता है, ऐसे संगम का सदस्य है या नहीं ;

(ग) एक या एक से अधिक उपभोक्ता, जहां अनेक ऐसे उपभोक्ता हैं, जिनका हित समान है, जिला आयोग की अनुज्ञा से सभी उपभोक्ताओं की ओर से या उनके फायदे के लिए इस प्रकार हितबद्ध सभी उपभोक्ता ; या

(घ) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार, केंद्रीय प्राधिकरण या राज्य सरकार :

परंतु इस उपधारा के अधीन परिवाद इलैक्ट्रानिक रूप में या ऐसी रीति में, जो विहित की जाएं, फाइल किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम" से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम अभिप्रेत है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन फाइल किए गए प्रत्येक परिवाद के साथ ऐसी फीस संलग्न होगी और ऐसी रीति में संदेय होगी, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक प्ररूप भी है, जो विहित किया जाए ।

जिला आयोग के समक्ष कार्यवाहियां ।

36. (1) जिला आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही उस आयोग के अध्यक्ष और कम से कम एक सदस्य द्वारा साथ बैठकर संचालित की जाएगी :

परंतु जहां किसी कारण से कोई सदस्य कार्यवाही को उसके पूरा किए जाने तक संचालित करने में असमर्थ है तो अध्यक्ष और अन्य सदस्य उस प्रक्रम से कार्यवाही को जारी रखेंगे, जिस पर उसकी पूर्ववर्ती सदस्य ने अंतिम सुनवाई की थी ।

(2) धारा 35 के अधीन किसी परिवाद की प्राप्ति पर जिला आयोग कार्यवाही करने के लिए परिवाद को स्वीकार करने का आदेश कर सकेगा या उसे अस्वीकार करेगा :

परंतु इस धारा के अधीन किसी परिवाद को तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक परिवादकर्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है :

परंतु यह और कि किसी परिवाद की साधारणतया ग्राह्यता का विनिश्चय उस तारीख से, जिसको परिवाद फाइल किया गया था, इक्कीस दिन के भीतर होगा ।

(3) जहां जिला आयोग इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर परिवाद की ग्राह्यता के मुद्दे का विनिश्चय नहीं करता है तो उसे ग्रहण कर लिया गया समझा जाएगा ।

मध्यक्ता को निर्देश ।

37. (1) किसी परिवाद को ग्रहण करने के पश्चात् पहली सुनवाई पर या किसी पश्चातवर्ती स्तर पर, यदि जिला आयोग को यह प्रतीत होता है कि वहां परिनिर्धारण किया जा सकता है, जो पक्षकारों को स्वीकार्य है, तो सिवाय ऐसे मामलों में, जो विहित किए जाएं, वह पक्षकारों को पांच दिन के भीतर अध्याय 5 के उपबंधों के अनुसार मध्यक्ता द्वारा अपने विवाद को परिनिर्धारित करने के लिए सहमति देने के लिए निदेश कर सकेगा ।

(2) जहां पक्षकार मध्यक्ता द्वारा परिनिर्धारण के लिए सहमत हो जाते हैं और अपनी लिखित सहमति देते हैं तो जिला आयोग ऐसी सहमति की प्राप्ति के पांच दिन के भीतर मामले को मध्यक्ता के लिए निर्दिष्ट करेगा और ऐसी दशा में मध्यक्ता से संबंधित अध्याय 5 के उपबंध लागू होंगे ।

परिवाद के ग्रहण होने पर प्रक्रिया ।

38. (1) जिला आयोग किसी परिवाद को ग्रहण करने पर या मध्यक्ता द्वारा परिनिर्धारण के लिए असफल होने की दशा में मध्यक्ता के लिए निर्दिष्ट मामलों के संबंध में ऐसे परिवाद पर आगे कार्रवाई करेगा ।

(2) जहां परिवाद किन्हीं मालों से संबंधित है तो जिला आयोग,—

(क) ग्रहण किए गए परिवाद की एक प्रति उसके ग्रहण करने की तारीख से

इक्कीस दिन के भीतर परिवाद में वर्णित विरोधी पक्षकार को यह निदेश देते हुए निर्देशित करेगा कि वह तीस दिन की अवधि या पन्द्रह से अनधिक ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो मंजूर की जाए, मामले के बारे में अपना पक्ष कथन प्रस्तुत करे ;

(ख) विरोधी पक्षकार खंड (क) के अधीन उसकी निर्दिष्ट किसी परिवाद की प्राप्ति पर, परिवाद में अंतर्विष्ट अभिकथनों से इंकार करता है या उनका प्रतिवाद करता है, या जिला आयोग द्वारा दिए गए समय के भीतर अपना प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए कोई कार्रवाई करने का लोप करता है या करने में असफल रहता है वहां उपभोक्ता विवाद को खंड (ग) से खंड (छ) में विनिर्दिष्ट रीति में निपटाने के लिए कार्यवाही करेगा ;

(ग) परिवादी ने माल में किसी ऐसी त्रुटि का अभिकथन किया है, जिसका अवधारण माल के उचित विश्लेषण या परीक्षण के बिना नहीं किया जा सकता है वहां परिवादी से माल का नमूना अभिप्राप्त करेगा, उसे सीलबंद करेगा और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अधिप्रमाणित करेगा और इस प्रकार सीलबंद नमूने को इस निदेश के साथ समुचित प्रयोगशाला को निर्देशित करेगा कि ऐसी प्रयोगशाला यह पता लगाने की दृष्टि से ऐसे विश्लेषण या परीक्षण, जो भी आवश्यक हो, करे कि ऐसे माल में परिवाद में अभिकथित कोई त्रुटि है या नहीं अथवा माल में कोई अन्य त्रुटि है या नहीं और उस पर अपनी रिपोर्ट निर्देश की प्राप्त के पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जिला आयोग द्वारा मंजूर की गई हो, को भेजेगा ;

(घ) खंड (ग) के अधीन किसी समुचित प्रयोगशाला को माल के किसी नमूने को निर्दिष्ट किए जाने से पूर्व, परिवादी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्रश्नगत मालों के संबंध में आवश्यक विश्लेषण या परीक्षण करने के लिए समुचित प्रयोगशाला को संदाय के लिए ऐसी फीस, जो विनिर्दिष्ट की जाए, आयोग के जमा खाते में जमा करे ;

(ङ) समुचित प्रयोगशाला को खंड (घ) के अधीन अपने जमा खाते में जमा की गई रकम को प्रेषित करेगा जिससे कि वह खंड (ग) में वर्णित विश्लेषण या परीक्षण करने के लिए उसे समर्थ बनाया जा सके और समुचित प्रयोगशाला से रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर विरोधी पक्षकार को ऐसी टिप्पणी जो वह समुचित समझे, के साथ रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेषित करेगा ;

(च) यदि पक्षकारों में से कोई पक्षकार समुचित प्रयोगशाला के निष्कर्षों की शुद्धता पर विवाद करते हैं या समुचित प्रयोगशाला द्वारा अपनाई गई विश्लेषण या जांच की पद्धतियों की शुद्धता पर विवाद करते है तो विरोधी पक्षकार या परिवादी से यह अपेक्षा करेगा कि वह समुचित प्रयोगशाला द्वारा की गई रिपोर्ट के संबंध में अपने आक्षेप लिखित में प्रस्तुत करें ;

(छ) समुचित प्रयोगशाला द्वारा बनाई गई रिपोर्ट की शुद्धता या अन्यथा के संबंध में परिवादी के साथ विरोधी पक्षकार को सुने जाने का और खंड (च) के अधीन उसके संबंध में किए गए आक्षेप तथा धारा 39 के अधीन समुचित आदेश

जारी करने के बारे में भी युक्तियुक्त अवसर देगा ।

(3) यदि धारा 36 के अधीन उसके द्वारा स्वीकार किया गया परिवाद उन मालों के संबंध में है जिनकी बाबत उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जा सकता या परिवाद किन्हीं सेवाओं से संबंधित है, तो जिला आयोग—

(क) विरोधी पक्षकार को ऐसे परिवाद की एक प्रति निर्दिष्ट करते हुए निदेश देगा कि वह मामले के अपने पक्ष को तीस दिन की अवधि के भीतर या पन्द्रह दिन से अनधिक ऐसी विस्तारित, जो जिला आयोग द्वारा अनुदत्त की जाए, के भीतर प्रस्तुत करे ;

(ख) जहां विरोधी पक्षकार, खंड (क) के अधीन उसे निर्दिष्ट की गई परिवाद की प्रति के प्राप्त हो जाने पर, परिवाद में अन्तर्विष्ट अभिकथनों का प्रत्याख्यान करता है या उन पर विवाद करता है या जिला आयोग द्वारा प्रदान किए गए समय के भीतर अपने मामले का व्यपदिष्ट करने के किए कोई कार्रवाई नहीं करता है या कार्रवाई करने में असफल रहता है, तो उपभोक्ता विवाद का निपटान—

(i) उसकी सूचना में परिवादी और विरोधी पक्षकार द्वारा लाए गए साक्ष्य के आधार पर यदि विरोधी पक्षकार परिवाद में अंतर्विष्ट अभिकथनों से इंकार करता है या उन पर विवाद करता है ; या

(ii) जहां विरोधी पक्षकार आयोग द्वारा प्रदान किए गए समय के भीतर अपना मामला व्यपदिष्ट नहीं करता हैं या करने में असफल रहता है वहां परिवादी द्वारा उसके ध्यान में लाए गए साक्ष्य के आधार पर एक पक्षीय कार्यवाही करेगा ।

(ग) परिवाद का गुणावगुण के आधार पर विनिश्चय करेगा यदि परिवादी सुनवाई की तारीख को उपस्थित होने में असफल रहता है ।

(4) उपधारा (2) और उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए जिला आयोग आदेश द्वारा किसी इलैक्ट्रानिक सेवा प्रदाता से ऐसी सूचना, दस्तावेज या अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह उस आदेश में विनिर्दिष्ट करे ।

(5) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करनेवाली कार्यवाहियों को इस आधार पर किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का अनुपालन नहीं किया गया है ।

(6) प्रत्येक परिवाद की सुनवाई जिला आयोग द्वारा शपथपत्र और अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर की जाएगी :

परंतु जहां सुनवाई के लिए या वैयक्तिक रूप से या वीडियो संगोष्ठी के माध्यम से पक्षकारों की परीक्षा के लिए कोई आवेदन किया जाता है तो जिला आयोग पर्याप्त हेतुक उपदर्शित करने पर और कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् वैसा करने को अनुज्ञात कर सकेगा ।

(7) प्रत्येक परिवाद पर यथासंभव शीघ्र सुनवाई की जाएगी और विरोधी पक्षकार द्वारा सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर परिवाद को विनिश्चित करने का वहां प्रयास किया जाएगा जहां परिवाद में वस्तुओं के विश्लेषण या

परीक्षण की अपेक्षा नहीं की जाती है और पांच मास के भीतर यदि इसके वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की अपेक्षा की जाती है :

परन्तु जिला आयोग द्वारा स्थगन मामूली तौर पर तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक पर्याप्त हेतुक नहीं दर्शाया जाता है और स्थगन की मंजूरी के कारणों को आयोग द्वारा लेखबद्ध न कर दिया गया हो :

परंतु यह और कि जिला आयोग स्थगन के कारण उपगत होने वाली लागतों के संबंध में ऐसे आदेश करेगा, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए :

परन्तु यह भी कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् परिवाद का परिनिर्धारण किए जाने की दशा में, जिला आयोग उक्त परिवाद के परिनिर्धारण के समय, उसके कारणों को अभिलिखित करेगा ।

(8) जहां जिला आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, आयोग को यह आवश्यक प्रतीत होता है तो वह ऐसा अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा, जो मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित और उचित हो ।

(9) इस धारा के प्रयोजनार्थ जिला आयोग को वही शक्तियां होंगी जो निम्नलिखित विषयों की बाबत वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं अर्थात् :— 1908 का 5

(क) किसी प्रतिवादी या साक्षी को समन करना तथा हाजिर कराना और शपथ पर साक्षी की परीक्षा करना ;

(ख) साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या अन्य तात्विक वस्तु के प्रकटीकरण और पेश करने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(घ) समुचित प्रयोगशाला से या किसी अन्य सुसंगत स्रोत से संबंद्ध विश्लेषण या परीक्षण की रिपोर्ट की अपेक्षा करना ;

(ङ) किसी साक्षी या दस्तावेज की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना, और

(च) कोई अन्य विषय, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(10) जिला आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और जिला आयोग दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनार्थ दांडिक न्यायालय समझा जाएगा । 1860 का 45 1974 का 2

(11) जहां परिवादी धारा 2 के खंड (5) के उपखंड (vi) में निर्दिष्ट उपभोक्ता है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की पहली अनुसूची के आदेश 1 के नियम 8 के उपबंध इस उपांतरण के अध्यधीन लागू होंगे कि किसी वाद या डिक्री के प्रति उसमें प्रत्येक निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह परिवाद या उस पर जिला आयोग के आदेश के प्रति निर्देश है । 1908 का 5

(12) किसी परिवादी जो उपभोक्ता है या विरोधी पक्षकार जिसके विरुद्ध परिवाद फाइल किया गया है, कि मृत्यु की दशा में, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 22 के उपबंध इस उपांतरण के अध्यधीन लागू होंगे कि वादी और प्रतिवादी के प्रति उसमें 1908 का 5

किया गया प्रत्येक निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह, यथास्थिति, परिवादी या विरोधी पक्षकार के प्रति निर्देश है ।

जिला आयोग के निष्कर्ष ।

39. (1) जिला आयोग का यह समाधान हो जाता है कि जिन मालों के विरुद्ध परिवाद किया गया है, वह परिवाद में विनिर्दिष्ट त्रुटियों में से किसी त्रुटि से ग्रस्त है या परिवाद में सेवाओं के बारे में अन्तर्विष्ट कोई अभिकथन या कोई अनुचित व्यापार व्यवहार या उत्पाद दायित्व के अधीन प्रतिकर का कोई दावा साबित हो गया है तो वह विरोधी पक्षकार को निम्नलिखित में एक या अधिक बातें करने का निदेश देने वाला आदेश जारी कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) प्रश्नगत माल में से समुचित प्रयोगशाला द्वारा प्रकट की गई त्रुटि को दूर करना ;

(ख) माल को उसी वर्णन के नए और त्रुटिहीन माल से बदलना;

(ग) परिवादी द्वारा सदंत्त, यथास्थिति, कीमत या प्रभारों को ऐसी कीमत या प्रभारों, जो विनिश्चित की जाए, पर ब्याज सहित परिवादी को वापस लौटाना ;

(घ) ऐसी रकम का संदाय करना जो विरोधी पक्षकार की उपेक्षा के कारण उपभोक्ता द्वारा सहन की गई किसी हानि या क्षति के लिए उपभोक्ता को प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत किया जाए :

परंतु जिला आयोग को ऐसी परिस्थितियों में जो वह ठीक समझे दंडात्मक नुकसानियों को मंजूर करने की शक्ति होगी ;

(ङ) ऐसी रकम का संदाय, जो उसके द्वारा अध्याय 6 के अधीन किसी उत्पाद दायित्व में कार्रवाई के अधीन वह प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत करे ;

(च) प्रश्नगत माल में त्रुटियों या सेवाओं में कमियों को दूर करना ;

(छ) अनुचित व्यापारिक व्यवहार या अवरोधक व्यापारिक व्यवहार को बंद करना या उनकी पुनरावृत्ति न करना ;

(ज) विक्रय के लिए परिसंकट में असुरक्षित माल की प्रस्थापना न करना ;

(झ) परिसंकट में माल को विक्रय के लिए प्रस्थापित किए जाने से वापस लेना ;

(ञ) परिसंकटमय माल के विनिर्माण को बंद करना और ऐसी सेवाओं की प्रस्थापना करने से प्रविरत रहना, जो परिसंकटमय प्रकृति की हैं ;

(ट) ऐसी राशि का संदाय करना, जो उसके द्वारा अवधारित की जाएं, यदि उसकी यह राय है कि भारी संख्या में ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा, जिनकी सुविधापूर्वक पहचान नहीं की जा सकती, को हानि या क्षति उठानी पड़ी है :

परंतु इस प्रकार संदेय राशि की कुल रकम ऐसे उपभोक्ताओं को, यथास्थिति, ऐसे विक्रीत त्रुटिपूर्ण माल या प्रदान की गईं सेवाओं के मूल्य का पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं होगा ।

(ठ) ऐसी भ्रामक विज्ञापन जारी करने के लिए जिम्मेदार विरोधी पक्षकार के खर्च पर भ्रामक विज्ञापन के प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए सुधारात्मक विज्ञापन निकालना ;

(ङ) पक्षकारों के लिए पर्याप्त खर्च का उपबंध करना ; और

(ढ) कोई भ्रामक विज्ञान निकालने से परिविरत रहना और प्रवारित रहना ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अभिप्राप्त हुई रकम ऐसी निधि में जमा की जाएगी और ऐसी रीति में उपयोग की जाएगी जो विहित की जाए ।

(3) अध्यक्ष और किसी सदस्य द्वारा संचालित किसी कार्यवाही में और यदि उनका किसी मुद्दे या मुद्दों पर मतभेद है, वे उस मुद्दे या उन मुद्दों का कथन करेंगे जिन पर उनका मतभेद है और उसे ऐसे मुद्दे या मुद्दों पर सुनवाई के लिए किसी अन्य सदस्य को निर्दिष्ट करेंगे तथा बहुमत की राय जिला आयोग का आदेश होगा :

परंतु अन्य सदस्य उसको निर्दिष्ट ऐसे मुद्दे या मुद्दों पर ऐसे निर्देश की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर अपनी राय देगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन जिला आयोग द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश उसके अध्यक्ष और सदस्य द्वारा, जिन्होंने कार्यवाही संचालित की थी, हस्ताक्षरित किया जाएगा :

परंतु जहां आदेश उपधारा (1) के अधीन बहुमत की राय के अनुसार किया जाता है वहां ऐसा आदेश भी अन्य सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

कतिपय मामलों में जिला आयोग द्वारा पुनर्विलोकन ।

40. जिला आयोग को उसके द्वारा पारित किसी भी आदेश का और यदि अभिलेख को देखते ही कोई स्पष्ट त्रुटि है तो वह स्वःप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार द्वारा ऐसे आदेश के तीस दिन के भीतर किए गए आवेदन पर पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी ।

जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील ।

41. जिला आयोग द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से 45 दिन की अवधि के भीतर ऐसे प्ररुप और रीति में जो विहित किया जाए, तथ्यों या विधि के आधारों पर राज्य आयोग को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा :

परंतु राज्य आयोग पैंतालीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था :

परंतु यह और कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिससे जिला आयोग के आदेश के निबंधनानुसार किसी रकम का संदाय करने की अपेक्षा की जाती है, कोई अपील राज्य आयोग द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक अपीलार्थी ने ऐसी रीति में जो विहित की जाए उस रकम का पचास प्रतिशत जमा नहीं कर दिया हो :

परंतु यह भी कि धारा 80 के अधीन मध्यक्ता द्वारा समझौता के अनुसरण में जिला आयोग द्वारा धारा 81 की उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश से कोई अपील नहीं की जाएगी ।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना ।

42. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग नामक राज्य आयोग की स्थापना करेगी ।

(2) राज्य आयोग साधारणत: राज्य की राजधानी में कार्य करेगा और ऐसे अन्य स्थानों पर अपने कृत्यों का पालन करेगा जो राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में राज्य

सरकार के परामर्श से अधिसूचित करे :

परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे स्थानों पर जो वह ठीक समझे, राज्य आयोग की प्रादेशिक शाखाएं स्थापित कर सकेगी ।

(3) प्रत्येक राज्य आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) एक अध्यक्ष ; और

(ख) चार से अन्यून और उतनी संख्या से अनधिक सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार के परामर्श से विहित की जाए ।

राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं आदि ।

43. केन्द्रीय सरकार, राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, पदावधि, उनके त्यागपत्र और उन्हें हटाए जाने हेतु उपबंध करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ।

44. राज्य सरकार, राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्तों तथा सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों हेतु उपबंध करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

45. इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व राज्य आयोग के यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, उसके कार्यकाल की समाप्ति तक यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपना पदधारण करेगा ।

राज्य आयोग के अधिकारी और कर्मचारी ।

46. (1) राज्य सरकार, राज्य आयोग को उसके कृत्यों को निर्वहन करने में सहायता करने के लिए अपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति और प्रवर्गों का अवधारण करेगा और वह आयोग को ऐसे अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो वह ठीक समझें ।

(2) राज्य आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे ।

(3) राज्य आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन तथा भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

राज्य आयोग की अधिकारिता ।

47. (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य आयोग को निम्नलिखित की अधिकारिता होगी—

(क) (i) उन परिवादों को ग्रहण करना जिनमें प्रतिफल के रुप में संदत्त माल या सेवाओं का मूल्य एक करोड़ रूपए से अधिक है किन्तु दस करोड़ रूपए से अधिक नहीं है :

परंतु जहां केंद्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है वहां वह ऐसा अन्य मूल्य विहित कर सकेगी जो वह ठीक समझे ।

(ii) अनुचित संविदाओं के विरुद्ध परिवाद जहां प्रतिफल के रुप में संदत्त माल या सेवाओं का मूल्य दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है ;

(iii) राज्य के भीतर किसी जिला आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपीलें ; और

(ख) जहां राज्य आयोग को यह प्रतीत होता है कि ऐसे जिला आयोग ने ऐसी किसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है या जो इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है या उसने वह कार्य अपनी अधिकारिता का अवैध रूप से प्रयोग करते हुए किया है या तात्विक अनियमितता से किया है तो वहां किसी उपभोक्ता विवाद में, जो राज्य के भीतर किसी जिला आयोग के समक्ष लंबित है या जिसका विनिश्चय उसके द्वारा किया गया है, अभिलेखों को मंगाना और समुचित आदेश पारित करना ।

(2) राज्य आयोग की अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग उसकी न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा और न्यायपीठ का गठन अध्यक्ष द्वारा एक या अधिक सदस्यों से किया जा सकेगा जैसा अध्यक्ष ठीक समझे :

परंतु ज्येष्ठतम सदस्य न्यायपीठ की अध्यक्षता करेगा ।

(3) जहां न्यायपीठ के सदस्यों में किसी मुद्दे पर राय पर मतभेद है वहां मुद्दों पर बहुमत की राय के अनुसार विनिश्चय किया जाएगा, यदि बहुमत है किंतु यदि सदस्य बराबर बराबर बंटे हुए हैं, तब वे उस मुद्दे या उन मुद्दों का कथन करेंगे जिन पर उनमें मतभेद है और अध्यक्ष को निर्देश करेंगे जो या तो मुद्दे या मुद्दों को स्वयं सुनेगा या ऐसे मुद्दे या मुद्दों पर सुनवाई के लिए मामलों को अन्य सदस्यों में एक या अधिक सदस्य को निर्दिष्ट करेगा और ऐसे मुद्दे या मुद्दों पर सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार विनिश्चय किया जाएगा जिन्होंने मामले पर सुनवाई की है जिसमें वे सदस्य भी हैं जिन्होंने इसे पहली बार सुना था :

परंतु, यथास्थिति, अध्यक्ष या अन्य सदस्य ऐसे निर्देश की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर इस प्रकार निर्दिष्ट मुद्दा या मुद्दों पर राय देगा या देंगे ।

(4) परिवाद ऐसे राज्य आयोग में संस्थित किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर—

(क) विरोधी पक्षकार या जहां एक से अधिक विरोधी पक्षकार हैं वहां विरोधी पक्षकारों में उनमें से प्रत्येक पक्षकार परिवाद के संस्थित किए जाने के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या शाखा कार्यालय रखता है या अभिलाभ के लिए स्वंय काम करता है ; या

(ख) यहां एक से अधिक विरोधी पक्षकार हैं वहां विरोधी पक्षकारों में से कोई भी विरोधी पक्षकार परिवाद के संस्थित किए जाने के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या शाखा कार्यालय रखता है या अभिलाभ के लिए स्वंय काम करता हैं, परन्तु यह तब जब ऐसे मामलें में राज्य आयोग की अनुज्ञा प्रदान की गई हो ; या

(ग) वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः उत्पन्न होता है ;

(घ) परिवादी निवास करता है या काम करता है ।

मामलों का अंतरण ।

48. राज्य आयोग परिवादी के आवेदन किए जाने पर या अपनी स्वप्रेरणा से कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर राज्य के भीतर जिला आयोग के समक्ष लंबित किसी परिवाद

का, यदि न्याय के हित में ऐसी अपेक्षा की जाती है, अंतरण कर सकेगा ।

राज्य आयोग को लागू प्रक्रिया ।

49. (1) धारा 35, धारा 36, धारा 37, धारा 38 और धारा 39 के अधीन परिवादों से संबंधित ऐसे उपांतरणों सहित जो आवश्यक हों, राज्य आयोग द्वारा विवादों के निपटान को लागू होंगे ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य आयोग संविदा के किन्हीं ऐसे निबंधनों को जो किसी उपभोक्ता के प्रति अनुचित है, भी अकृत और शून्य घोषित कर सकेगा ।

कतिपय मामलों में राज्य आयोग द्वारा पुनर्विलोकन ।

50. राज्य आयोग को या तो स्व:प्रेरणा से या ऐसे आदेश के तीस दिन के भीतर किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर उसके द्वारा पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी यदि अभिलेख के देखने से ही स्पष्ट त्रुटि दिखाई पड़ती है ।

राष्ट्रीय आयोग को अपील ।

51. (1) राज्य आयोग द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति धारा 47 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) या (ii) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा :

परंतु यह कि राष्ट्रीय आयोग तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् तब तक कोई अपील स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि उस अवधि के भीतर अपील न करने के पर्याप्त कारण थे :

परंतु यह भी कि किसी व्यक्ति की, जिससे राज्य आयोग के आदेश के निबंधनों में किसी रकम का संदाय करने की अपेक्षा है, कोई अपील राष्ट्रीय आयोग द्वारा तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक अपीलार्थी ने विहित रीति में उस रकम का पचास प्रतिशत जमा नहीं कर दिया है ।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्यथा उपबंधित के सिवाय राज्य आयोग द्वारा अपील में पारित किसी आदेश से राष्ट्रीय आयोग में अपील की जाएगी यदि राष्ट्रीय आयोग का यह समाधान हो जाता है कि मामले में विधि का सारवान प्रश्न अंतर्वलित है ।

(3) किसी ऐसी अपील में जिसमें विधि का प्रश्न अंतर्वलित है, अपील के ज्ञापन में अपील में अंतर्वलित विधि के सारवान प्रश्न का ठीक-ठीक कथन होगा ।

(4) जहां राष्ट्रीय आयोग का यह समाधान हो जाता है कि किसी मामले में विधि का सारवान प्रश्न अंतर्वलित है वहां यह उस प्रश्न को तैयार करेगा और उस प्रश्न पर अपील की सुनवाई करेगा :

परंतु इस उपधारा में किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह विधि के किसी अन्य सारवान प्रश्न पर अपील, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, की सुनवाई करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की शक्ति को नहीं छीनती है या न्यूनीकृत नहीं करती है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में विधि का ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है ।

(5) राज्य आयोग द्वारा एक पक्षीय पारित आदेश से इस धारा के अधीन राष्ट्रीय

आयोग को अपील की जा सकेगी ।

अपील की सुनवाई ।

52. राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष फाइल की गई अपील पर यथासंभव शीघ्र सुनवाई की जाएगी और अपील को उसके ग्रहण किए जाने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर अन्तिम रूप से निपटान करने के लिए प्रयास किया जाएगा :

परन्तु, यथास्थिति, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा कोई आस्थगन मामूली तौर पर मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे आयोग द्वारा पर्याप्त कारण न दर्शाया गया हो और आस्थगन की मंजूरी के लिए कारण अभिलिखित न किए गए हो :

परन्तु यह और कि, यथास्थिति, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग आस्थगन द्वारा उद्भूत खर्चों के बारे में ऐसे आदेश करेगा जो विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परंतु यह भी कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् अपील का निपटारा किए जाने की दशा में, यथास्थिति, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग उक्त अपील के निपटारे के समय उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा ।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना ।

53. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय आयोग के नाम से ज्ञात राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना करेगी ।

(2) राष्ट्रीय आयोग मामूली तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्य करेगा और ऐसे अन्य स्थानों पर जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में राष्ट्रीय आयोग के परामर्श से अधिसूचित करें, अपने कार्य निष्पादित करेगा :

परंतु केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय आयोग की क्षेत्रीय शाखाएं ऐसे स्थानों पर स्थापित कर सकेगी जो वह ठीक समझे ।

राष्ट्रीय आयोग की संरचना ।

54. (1) राष्ट्रीय आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) अध्यक्ष; और

(ख) कम से कम चार सदस्य और उतनी संख्या से अनधिक सदस्य, जो विहित की जाए ।

राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं आदि ।

55. (1) केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताओं, नियुक्ति, पद के निबंधन, वेतन और भत्ते, पद त्याग, हटाया जाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगी :

परंतु राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष और सदस्य ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं किंतु ऐसी तारीख से पांच वर्ष से अनधिक जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है और नियुक्ति के लिए पात्र होंगे :

परंतु यह और कि कोई अध्यक्ष या सदस्य उस रुप में ऐसी आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात्, जो केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए पद धारण नहीं करेगा जो,—

(क) अध्यक्ष की दशा में सत्तर वर्ष की आयु ;

(ख) किसी अन्य सदस्य की दशा में सड़सठ वर्ष की आयु से अधिक नहीं होंगे ।

(2) राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के न तो वेतन और भत्तों और न ही उनकी सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में, उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके अलाभकारी रूप में परिवर्तन किया जाएगा ।

2017 का 7
1986 का 68

56. वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 177 के प्रारंभ से ठीक पूर्व नियुक्त अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा उसी प्रकार शासित होते रहेंगे मानों यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ था । संक्रमणकालीन उपबंध ।

57. (1) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के परामर्श से राष्ट्रीय आयोग की उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की ऐसी संख्या का उपबंध करेगी, जो वह ठीक समझे । राष्ट्रीय आयोग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी ।

(2) राष्ट्रीय आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण में अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे ।

(3) राष्ट्रीय आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन तथा भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं ।

58. (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रीय आयोग को निम्नलिखित की अधिकारिता होगी— राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता ।

(क) (i) उन परिवादों को ग्रहण करना जिनमें प्रतिफल के रूप में संदत्त माल या सेवाओं का मूल्य दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु जहां केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है वहां वह ऐसा अन्य मूल्य विहित कर सकेगी जो वह ठीक समझे ।

(ii) अनुचित संविदाओं के विरुद्ध परिवाद जहां प्रतिफल के रूप में संदत्त माल या सेवाओं का मूल्य दस करोड़ रुपए से अधिक है ;

(iii) किसी राज्य आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपीलें ;

(iv) केन्द्रीय प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलें ; और

(ख) जहां राष्ट्रीय आयोग को यह प्रतीत होता है कि ऐसे राज्य आयोग ने ऐसी किसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है या जो इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है या उसने वह कार्य अपनी अधिकारिता का अवैध रूप से प्रयोग करते हुए किया है या तात्विक अनियमितता से किया है तो वहीं किसी उपभोक्ता विवाद में, जो राज्य के भीतर किसी राज्य आयोग के समक्ष लंबित है या जिसका विनिश्चय उसके द्वारा किया गया है, अभिलेखों को मंगाना और समुचित आदेश पारित करना ।

(2) राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग उसकी न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा और न्यायपीठ का गठन अध्यक्ष द्वारा एक या अधिक सदस्यों से किया जा सकेगा जैसा अध्यक्ष ठीक समझे :

परंतु न्यायपीठ का ज्येष्ठतम सदस्य न्यायपीठ की अध्यक्षता करेगा ।

(3) जहां न्यायपीठ के सदस्यों में किसी मुद्दे पर मतभेद है, वहां मुद्दे बहुमत की राय के अनुसार विनिश्चित किए जाएंगे, यदि बहुमत है, किन्तु यदि सदस्य बराबर-बराबर

बंट जाते हैं तो वे उस मुद्दे या उन मुद्दों का उल्लेख करेंगे जिन पर उनका मतभेद है और अध्यक्ष को निर्देश करेंगे जो या तो मुद्दे या मुद्दों स्वयं सुनेगा या मामले को अन्य सदस्यों में से एक या अधिक सदस्यों द्वारा ऐसे मुद्दे या मुद्दों पर सुनवाई के लिए निर्दिष्ट करेगा और ऐसा मुद्दा या मुद्दों को उन सदस्यों की राय के अनुसार विनिश्चित किए जाएंगे जो पहले मामले को सुन चुके हैं जिनमें वे सदस्य भी हैं, जिन्होंने इस पहली बार सुना था :

परंतु यथास्थिति, अध्यक्ष या अन्य सदस्य ऐसे निर्देश की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर इस प्रकार निर्दिष्ट विषय या विषयों पर राय देगा ।

राष्ट्रीय आयोग को लागू प्रक्रिया ।

59. (1) धारा 35, धारा 36, धारा 37, धारा 38 और धारा 39 के अधीन परिवादों से संबंधित ऐसे उपांतरणों सहित जो आवश्यक हों, राष्ट्रीय आयोग द्वारा विवादों के निपटान को लागू होंगे ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राष्ट्रीय आयोग संविदा के किन्हीं ऐसे निबंधनों को जो किसी उपभोक्ता के प्रति अनुचित है, भी अकृत और शून्य घोषित कर सकेगा ।

कतिपय मामलों में राष्ट्रीय आयोग द्वारा पुनर्विलोकन ।

60. राज्य आयोग को या तो स्वःप्रेरणा से या ऐसे आदेश के तीस दिन के भीतर किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर उसके द्वारा पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी यदि अभिलेख के देखने से ही स्पष्ट त्रुटि दिखाई पड़ती है ।

एक पक्षीय आदेशों को अपास्त करने की शक्ति ।

61. जहां राष्ट्रीय आयोग द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित किया जाता है, वहीं व्यथित पक्षकार से आदेश को अपास्त करने के लिए आयोग को आवेदन कर सकेगा ।

मामलों का अंतरण।

62. राष्ट्रीय आयोग परिवादी के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से न्याय के हित में कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर एक राज्य के जिला आयोग के समक्ष लंबित किसी परिवाद को किसी अन्य राज्य के जिला आयोग को या एक राज्य आयोग के समक्ष लंबित किसी परिवाद को किसी अन्य राज्य आयोग को अंतरित कर सकेगा ।

राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के पद में रिक्ति ।

63. जब राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त है या ऐसे पद को धारण करने वाला व्यक्ति, अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब यह कर्तव्य राज्य आयोग के ज्येष्ठतम सदस्य द्वारा निष्पादित किए जाएंगे :

परंतु जहां किसी उच्च न्यायायल का सेवानिवृत न्यायाधीश या ऐसा व्यक्ति जो न्यायिक सदस्य रहा है, राष्ट्रीय आयोग का सदस्य है, वहां ऐसा सदस्य या जहां ऐसे सदस्यों की संख्या एक से अधिक है, वहां ऐसे सदस्यों में से ज्येष्ठतम व्यक्ति उस आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता करेगा ।

रिक्तियों या नियुक्ति में त्रुटियों से आदेशों का अविधिमान्य न होना ।

64. जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि इनके सदस्यों में से कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ।

सूचना का तामील आदि ।

65. (1) इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित सभी सूचनाएं उस विरोधी पक्षकार को, जिसके विरुद्ध परिवाद किया जाता है, संबोधित सम्यक् रजिस्ट्रीकृत डाक अभिस्वीकृति द्वारा या परिवादी को स्पीड पोस्ट द्वारा या ऐसी कुरिअर सेवा द्वारा, जो, यथास्थिति, जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग अनुमोदित हो, या दस्तावेजों के पारेषण के किसी अन्य ढंग द्वारा जिसमें इलैक्ट्रानिक साधन भी हैं उसकी एक प्रति परिदत्त करके या पारेषित करके तामील की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना इलैक्ट्रानिक सेवा प्रदाता पर उस इलैक्ट्रानिक प्लेटफार्म पर उसके द्वारा दिए गए पते पर, जहां से वह उस रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करता है, तामील की जा सकेगी और इस प्रयोजन के लिए, इलैक्ट्रानिक सेवा प्रदाता ऐसी सूचनाओं को स्वीकार करने और उनको प्रक्रियागत करने के लिए नोडल अधिकारी पदाभिहित करेगा ।

(3) जब, यथास्थिति, विरोधी पक्षकार या उसके अभिकर्ता या परिवादी द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई अभिस्वीकृति या कोई अन्य प्राप्ति, यथास्थिति, जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्राप्त की जाती है या सूचना के अंतर्वलित करने वाली डाक वस्तु, यथास्थिति, ऐसे जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा किया जाता है जिसमें यह तात्पर्य करने वाला पृष्ठांकन है कि उस डाक कर्मचारी या कुरिअर सेवा द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रभाव के लिए किया गया है कि विरोधी पक्षकार या उसका अभिकर्ता या परिवादी ने सूचना वाली डाक वस्तु के परिदान को लेने से इंकार कर दिया था या उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी अन्य साधन द्वारा सूचना स्वीकार करने से इंकार कर दिया था जब वह उसे निविदत्त या पारेषित की गई थी, तब, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग यह घोषणा करेगा कि सूचना, यथास्थिति, विरोधी पक्षकार पर या परिवादी पर सम्यकतः तामील कर दी गई है :

परंतु जहां सूचना सम्यकतः संबोधित की गई थी, पूर्व संदत्त की गई थी और देय रजिस्ट्रीकृत डाक अभिस्वीकृति द्वारा सम्यकतः भेजी गई थी, इस उपधारा में निर्दिष्ट घोषणा इस तथ्य के होते हुए भी की जाएगी कि अभिस्वीकृति गुम हो गई है या खो गई है या किसी अन्य कारणवश, यथास्थिति, जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा सूचना के जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर प्राप्त नहीं की गई है ।

(4) यथास्थिति, विरोधी पक्षकार या परिवादी को तामील की जाने वाली सभी सूचनाएं पर्याप्त रूप से तामील की हुई समझी जाएंगी, यदि विरोधी पक्षकार के मामले में उस स्थान को भेजी जाती है, जहां कारबार या व्यवसाय किया जाता है और परिवाद के मामले में उस स्थान पर भेजी जाती हैं, जहां ऐसा व्यक्ति वास्तिविक रूप से और स्वेच्छया निवास करता है ।

राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग की विशेषज्ञों द्वारा सहायता ।

66. जहां, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग किसी परिवादी या अन्यथा द्वारा आवेदन किए जाने पर, कि यह राय है कि उसमें उपभोक्ताओं का बड़ा हित अंतर्वलित है तो वह, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग की सहायता करने के लिए किसी व्यक्ति या संगठन या विशेषज्ञ निदेश दे सकेगा :

राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील ।

67. धारा 58 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए आदेशों से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय को अपील कर सकेगा :

परंतु उच्चतम न्यायालय उक्त तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर इसे फाइल न करने का पर्याप्त कारण था :

परंतु यह और कि किसी व्यक्ति द्वारा जिससे राष्ट्रीय आयोग के आदेश के निबंधनानुसार किसी रकम का संदाय करने के लिए अपेक्षा की जाती है, उच्चतम न्यायालय द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी, यदि उस व्यक्ति ने उच्चतम न्यायालय में विहित रीति में उस रकम का पचास प्रतिशत जमा नहीं किया है ।

आदेशों की अंतिमता ।

68. जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग का प्रत्येक आदेश, यदि इस आदेश के उपबंधों के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग या उच्चतम न्यायालय में कोई अपील नहीं की गई है, तो ऐसा आदेश अंतिम होगा ।

परिसीमा अवधि ।

69. (1) जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग कोई परिवाद स्वीकार नहीं करेगा, यदि यह उस तारीख से जिसको वाद हेतुक उद्भूत हुआ है, दो वर्ष की अवधि के भीतर फाइल नहीं की जाती है ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् परिवाद् स्वीकार किया जा सकेगा, यदि, परिवाद यथास्थिति, जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग का यह समाधान कर देता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर परिवाद फाइल न करने का पर्याप्त कारण था :

परंतु यह कि ऐसा कोई परिवाद स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या जिला आयोग, ऐसी देरी को क्षमा करने के कारणों को अभिलेखबद्ध नहीं करता ।

प्रशासनिक नियंत्रण ।

70. (1) राष्ट्रीय आयोग को ऐसे पर्याप्त मानक अधिकथित करने का प्राधिकार होगा, जो अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से समय-समय पर उपभोक्ताओं के हितों के बेहतर संरक्षण के लिए उपबंध करें तथा उस प्रयोजन के लिए सभी राज्य आयोगों पर निम्नलिखित विषयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगी, अर्थात् :—

(क) संस्था मामलों के निपटारे और लंबन के संबंध में कालिक विवरणियां मंगाकर उनके निपटारे के निबंधनानुसार राज्य आयोगों के निष्पादन को मानीटर करना;

(ख) राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के विरुद्ध किन्हीं आरोपों का अन्वेषण करना और आवश्यक कार्रवाई के लिए केन्द्रीय सरकार को एक प्रति पृष्ठांकित करते हुए संबंधित राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ग) मामलों की सुनवाई में एक ही प्रकिया अंगीकार करने, एक पक्षकार द्वारा विरोधी पक्षकार को प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियों की पूर्व तामील, किसी भाषा में लेखबद्ध निर्णयों का अंग्रेजी अनुवाद करना, दस्तावेजों की प्रतियों को त्वरित

अनुदत्त करने के संबंध में निदेश जारी करना ;

(घ) राज्य आयोग या जिला आयोग के कृत्यों का सर्वेक्षण या तो निरीक्षण द्वारा या किसी अन्य तरीके से, राष्ट्रीय आयोग समय-समय पर ऐसे आदेश से जैसा यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के उद्देश्य और प्रयोजन सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण हों और राष्ट्रीय आयोग द्वारा निश्चित किए गए मानक उनकी अर्धन्यायिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किए बिना कार्यान्वित हों, करना ।

(2) प्रशासनिक दृष्टिकोण से राज्य आयोग के कृत्यों के सर्वेक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष द्वारा गठित की जाने वाली मानीटरी सैल होगी ।

(3) राज्य आयोग उपधारा (1) में निर्दिष्ट सभी मामलों में इसकी अधिकारिता के भीतर सभी जिला आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा ।

(4) राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग केन्द्रीय सरकार को समय-समय पर जैसा और जब अपेक्षित हो यथानिर्धारित प्रारूप में कोई सूचना जिसके अन्तर्गत वाद का लंबन भी है, देगा ।

(5) राज्य आयोग समय-समय पर जैसा और जब अपेक्षित हो यथानिर्धारित प्रारूप में कोई सूचना जिसके अन्तर्गत वाद का लंबन भी है, देगा ।

जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के आदेशों का प्रवर्तन।

1908 का 5

71. जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश इसके द्वारा उसी रीति में प्रवर्तित किया जाएगा, मानो वह न्यायालय में लंबित वाद में की गई डिक्री हो, और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की पहली अनुसूची के आदेश 21 के उपबंध, यथाशक्य इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि डिक्री के प्रति उसमें प्रत्येक निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन किए गए आदेश के प्रति निर्देश है ।

आदेश के अननुपालन के लिए शास्ति ।

72. (1) जो कोई, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास से कम की नहीं होगी किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए. से कम का नहीं होगा किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

1974 का 2

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग को उपधारा (1) के अधीन अपराधों के विचारण के लिए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति होगी और ऐसी शक्तियों के प्रदत्त किए जाने पर, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रयोजन के लिए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट समझा जाएगा ।

(3) अन्यथा उपबंधित के सिवाय उपधारा (1) के अधीन अपराधों पर, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा संक्षिप्त रूप से विचारण किया जाएगा ।

धारा 72 के अधीन पारित आदेशों के विरुद्ध अपील ।

1974 का 2

73. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 72 की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित किया जाता है, वहां तथ्य और विधि दोनों पर अपील निम्नलिखित द्वारा किए गए आदेश से,—

(क) जिला आयोग द्वारा किए गए आदेश की अपील राज्य आयोग को होगी ;

(ख) राज्य आयोग द्वारा किए गए आदेश की अपील राष्ट्रीय आयोग को होगी ; और

(ग) राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय को होगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन के सिवाय, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के किसी आदेश की अपील किसी न्यायालय में नहीं होगी ।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग के आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी :

परंतु, यथास्थिति, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग या उच्चतम न्यायालय तीस दिन की उक्त अवधि के पश्चात् भी अपील की सुनवाई कर सकेंगे, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास तीस दिन की अवधि के भीतर अपील करने का पर्याप्त कारण था ।

अध्याय 5

मध्यकता

उपभोक्ता मध्यकता सैल की स्थापना ।

74. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में जिला आयोग से संलग्न जिला उपभोक्ता मध्यकता सैल तथा राज्य से संलग्न राज्य उपभोक्ता मध्यकता सैल की स्थापना करेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय आयोग से संलग्न एक राष्ट्रीय उपभोक्ता मध्यकता सैल की स्थापना करेगी ।

(3) उपभोक्ता मध्यकता सैल, ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जैसा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(4) प्रत्येक उपभोक्ता मध्यकता सैल—

(क) पैनलीकृत मध्यस्थों की सूची रखेगा ;

(ख) सैल द्वारा निपटाए गए मामलों की सूची ;

(ग) कार्यवाहियों का अभिलेख ;

(घ) कोई अन्य जानकारी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं,

दैनिक आधार पर डाटा रखेगा और, यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को मासिक आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(5) प्रत्येक उपभोक्ता मध्यकता सैल विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, जिससे यह सम्बद्ध है, को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

मध्यकों का पैनलीकरण ।

75. (1) मध्यकता के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, आयोग या राज्य आयोग या जिला आयोग, जो उस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिश पर इससे संबद्ध उपभोक्ता मध्यकता सैल द्वारा रखे जाने वाला मध्यस्थों का

एक पैनल तैयार करेगा ।

(2) मध्यक के रूप में पैनलीकरण के लिए अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव, पैनलीकरण के लिए प्रक्रिया, पैनलीकृत मध्यकों को प्रशिक्षित करने की रीति, पैनलीकृत मध्यकों को संदेय फीस, पैनलीकरण के लिए निबंधन और शर्तें, पैनलीकृत मध्यकों के लिए आचार संहिता, वे आधार, जिन पर और रीति जिसमें, पैनलीकृत मध्यकों को हटाया जाएगा या पैनलीकरण को रद्द किया जाएगा और उनसे संबंधित अन्य विषय वे होंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार किए गए मध्यकों के पैनल पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और पैनलीकृत मध्यकों पर ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, एक अन्य अवधि के लिए पुन: पैनलीकरण के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र होंगे ।

पैनल से मध्यकों का नामनिर्देशन ।

76. जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, धारा 75 में निर्दिष्ट मध्यस्थों के पैनल से किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करते समय, अंतर्वलित उपभोक्ता विवाद को सुलझाने के लिए उसकी उपयुक्तता पर विचार करेगा ।

कतिपय तथ्यों को प्रकट करने का मध्यक का कर्तव्य ।

77. मध्यक का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) उपभोक्ता विवाद को परिणाम के बारे में किसी निजी, वृत्तिक या वित्तीय हित का प्रकटन करे ;

(ख) उन परिस्थितियों का प्रकटन करे, जिनसे उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित शंका उत्पन्न हो सके ;

(ग) ऐसे अन्य तथ्य, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

कतिपय मामलों में मध्यक का प्रतिस्थापन।

78. जहां, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग मध्यक द्वारा दी गई सूचना पर, या किसी अन्य व्यक्ति, जिसमें परिवाद का पक्षकार भी है, से प्राप्त सूचना पर और मध्यक को सुनने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है, वहां यह ऐसे मध्यक को किसी अन्य मध्यक से प्रतिस्थापित करेगी ।

मध्यकता के लिए प्रकिया ।

79. (1) मध्यकता, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग से उपभोक्ता मध्यकता सेल में आयोजित किया जाएगा ।

(2) जहां उपभोक्ता विवाद, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा मध्यकता के लिए निर्दिष्ट किया जाता है, वहां ऐसे आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट मध्यक पक्षकारों के अधिकारों और बाध्यताओं, व्यापार की प्रथाओं, यदि कोई हों, उपभोक्ता विवाद को उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां और ऐसे अन्य सुसंगत कारक, जो वह आवश्यक समझे, का ध्यान रखेगा और मध्यकता करते समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा ।

(3) इस प्रकार नाम निर्दिष्ट मध्यक ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, मध्यकता संचालित करेगा ।

मध्यकता के माध्यम से निपटान ।

80. (1) मध्यकता के अनुसरण में, उपभोक्ता विवाद में अंतर्वलित सभी मुद्दों के संबंध में या केवल कुछ मुद्दों के संबंध में पक्षकारों के बीच करार हो जाता है, ऐसे करार के निबंधनों को तदुनसार लेखबद्ध किया जाएगा और ऐसे विवाद के पक्षकारों या उनके

प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(2) मध्यक निपटान की निपटान रिपोर्ट तैयार करेगा और संबद्ध आयोग को ऐसे रिपोर्ट के साथ हस्ताक्षरित करार अग्रेषित करेगा ।

(3) जहां विनिर्दिष्ट समय के भीतर पक्षकारों के बीच कोई करार नहीं होता है या मध्यकता की यह राय है कि निपटान संभव नहीं है, वहां वह तदनुसार अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और संबद्ध आयोग को प्रस्तुत करेगा ।

निपटान को अभिलिखित करना और आदेश का पारित किया जाना ।

81. (1) यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग निपटान रिपोर्ट की प्राप्ति के सात दिन के भीतर ऐसे उपभोक्ता विवाद के निपटारे तथा तदनुसार मामले को निपटान को अभिलिखित करते हुए उपयुक्त आदेश पारित करेगा ।

(2) जहां उपभोक्ता विवाद केवल भागत: निपटाया जाता है, वहां यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग ऐसे मुद्दों के निपटान को अभिलिखित करेगा, जो इस प्रकार निपटाए गए हैं और ऐसे उपभोक्ता विवाद में अंतर्वलित अन्य मुद्दों पर सुनवाई जारी रहेगी ।

(3) जहां उपभोक्ता विवाद मध्यकता द्वारा नहीं निपटाया जा सका, वहां यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग ऐसे उपभोक्ता विवाद में अंतर्वलित सभी मुद्दों की सुनवाई जारी रखेगा ।

अध्याय 6

उत्पाद दायित्व

अध्याय का लागू होना ।

82. यह अध्याय उत्पाद विनिर्माता द्वारा विनिर्मित उत्पाद सेवा प्रदाता द्वारा सर्विस की गई या उत्पाद विक्रेता द्वारा विक्रय किए किसी त्रुटिपूर्ण उत्पाद द्वारा कारित किसी हानि के लिए परिवादी द्वारा उत्पाद दायित्व कार्रवाई के अधीन प्रतिकर के लिए प्रत्येक दावे को लागू होगा ।

उत्पाद दायित्व कार्रवाई ।

83. उत्पाद दायित्व कार्रवाई त्रुटिपूर्ण उत्पाद के कारण उसको हुई किसी हानि के लिए, यथास्थिति, उत्पाद विनिर्माता या उत्पाद सेवा प्रदाता या उत्पाद विक्रेता के विरुद्ध परिवादी द्वारा की जा सकेगी ।

उत्पाद विनिर्माता का दायित्व ।

84. (1) उत्पाद विनिर्माता उत्पाद दायित्व कार्रवाई में दायी होगा, यदि—

(क) उत्पाद में विनिर्माण त्रुटि है ; या

(ख) उत्पादक डिजाइन त्रुटि है ; या

(ग) विनिर्माण विनिर्देशों से विचलन है ; या

(घ) उत्पाद अभिव्यक्त वारंटी के अनुरूप नहीं है ;

(ङ) उत्पाद अनुचित या गलत प्रयोग के बारे में किसी हानि या किसी चेतावनी को रोकने के लिए सही प्रयोग के पर्याप्त अनुदेशों को अन्तर्विष्ट करने में असफल रहता है ।

(2) उत्पाद विनिर्माता उत्पाद दायित्व कार्रवाई में दायी होगा भले ही वह यह साबित कर देता है कि वह उत्पाद की अभिव्यक्त वारंटी बनाने में वह उपेक्षावान या कपटी नहीं था ।

85. उत्पाद सेवा प्रदाता उत्पाद दायित्व कार्रवाई में दायी होगा, यदि— उत्पाद सेवा प्रदाता का दायित्व ।

(क) उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा त्रुटिपूर्ण या अनुचित या कमी वाली या अपर्याप्त थी, निष्पादन की प्रकृति या रीति, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन या किसी संविदा के अनुसरण में या अन्यथा प्रदान किए जाने के लिए अपेक्षित थी ; या

(ख) लोप या करण त्रुटि या अपेक्षा थी या ऐसी किसी सूचना, जिससे हानि कारित हुई है, उपेक्षा या विवेक सम्मत विधारण था ; या

(ग) सेवा प्रदाता ने किसी हानि को रोकने के लिए पर्याप्त अनुदेश या चेतावनियां जारी नहीं की ; या

(घ) सेवा अभिव्यक्त वारन्टी या संविदा के निबंधनों तथा शर्तों के अनुरूप नहीं थी ।

86. उत्पाद विक्रेता, जो एक उत्पाद विनिर्माता नहीं है, उत्पाद दायित्व कार्रवाई में दायी होगा, यदि— उत्पाद विक्रेताओं का दायित्व ।

(क) उसने उत्पाद की डिजान, परीक्षण, विनिर्माण, पैकेजिंग या लेबलिंग के, जिसके कारण अपहानि हुई थी, सारभूत नियंत्रण किया है ; या

(ख) उसने उत्पाद को परिवर्तित या उपांतरित किया था और ऐसा परिवर्तन या उपांतरण अपहानि होने में सारभूत घटक था ; या

(ग) उत्पाद विक्रेता ने विनिर्माता द्वारा की गई किसी अभिव्यक्त स्वतंत्र वारंटी की है और ऐसा उत्पाद अभिव्यक्त द्वारा की गई वारंटी में असफल रहता है, जिससे अपहानि कारित थी ;

(घ) उत्पाद उसके द्वारा विक्रय किया गया है और ऐसे उत्पाद के उत्पाद विनिर्माता की पहचान ज्ञात नहीं है या यदि ज्ञात है तो सूचना या प्रक्रिया या वारन्ट की तामील उस पर नहीं की जा सकती या वह उस विधि के अधीन नहीं है, जो भारत में प्रवृत्त है या पारित है या पारित किए जाने वाला आदेश उसके विरुद्ध प्रवृत्त नहीं किया जा सकता ; या

(ङ) वह ऐसे उत्पाद के संभजन, निरीक्षण या अनुरक्षण करने में युक्तियुक्त सावधानी बरतने में असफल रहा है या अन्तर्वलित खतरों या ऐसे उत्पाद की बिक्री करते समय उत्पाद विनिर्माता की चेतावनियों या अनुदेशों को उसने संक्रात नहीं किया था और असफलता अपहानि का आसन्न कारण था ।

87. (1) उत्पाद दायित्व कार्रवाई किसी उत्पाद विक्रेता के विरूद्ध नहीं की जा सकती, यदि, अपहानि के समय उत्पाद का दुरूपयोग किया गया था, उसे परिवर्तित किया गया था या उपांतरित किया गया था । उत्पाद दायित्व कार्रवाई के अपवाद ।

(2) पर्याप्त चेतावनियां या अनुदेश उपलब्ध कराने की असफलता पर आधारित किसी उत्पाद दायित्व कार्रवाई में, उत्पाद विनिर्माता दायी होगा, यदि—

(क) उत्पाद कार्यस्थल पर उपयोग के लिए किसी नियोजक द्वारा क्रय किया गया था और उत्पाद विनिर्माता ने ऐसे नियोजन को चेतावनियां या अनुदेश दिए थे ; या

(ख) उत्पाद किसी अन्य उत्पाद में प्रयुक्त किए जाने वाले संघटक या सामग्री के रूप में क्रय किया गया था और ऐसे संघटक या सामग्री के क्रेताओं को उत्पाद विनिर्माता द्वारा आवश्यक चेतावनियां या अनुदेश दिए गए थे किन्तु अन्तिम उत्पाद, जिसमें ऐसा संघटक या सामग्री का प्रयोग किया गया था, के प्रयोग द्वारा परिवादी को अपहानि कारित हुई थी ; या

(ग) उत्पाद एक ऐसा उत्पाद था जो विधिकतः किसी विशेषज्ञ या विशेषज्ञों के वर्ग द्वारा ही या उसके या उनके पर्यवेक्षणाधीन प्रयोग किए जाने के लिए था या वितरित किए जाने के लिए था और उत्पाद विनिर्माता ने ऐसे विशेषज्ञ या विशेषज्ञों के वर्ग के ऐसे उत्पाद के प्रयोग के लिए चेतावनियां या अनुदेश देने के लिए युक्तियुक्त साधन नियोजित किए थे ; या

(घ) परिवादी, ऐसे उत्पाद का प्रयोग करते समय, एल्कोहल या किसी नुस्खा औषधि के प्रभाव में था, जो चिकित्सा व्यवसायी द्वारा विहित की गई है ।

(3) उत्पाद विनिर्माता ऐसे खतरे के बारे में अनुदेश देने या चेतावनी देने में असफलता के लिए दायी नहीं होगा जो ऐसे उत्पाद के उपयोक्ता या उपभोक्ता को स्पष्टतः सामान्यतः ज्ञात है या जिसकी ऐसे उपयोक्ता या उपभोक्ता को ऐसे उत्पाद की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी होनी चाहिए थी ।

अध्याय 7

अपराध और शास्तियां

केन्द्रीय प्राधिकरण के निदेशों के अननुपालन के लिए शास्ति ।

88. जो कोई, धारा 20 और धारा 21 के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, ऐसी अवधि के, जो छह मास तक की हो सकेगी, कारावास से या ऐसे जुर्माने से, जो बीस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन के लिए दंड ।

89. कोई विनिर्माता या सेवा प्रदाता, जो किए जाने वाले ऐसे मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन कारिता है जो उपभोक्ताओं के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसी अवधि के कारावास से, जो पांच वर्ष का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो पचास लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

अपद्रव्य को अन्तर्विष्ट करने वाले उत्पादों के विक्रय या भंडारण, विक्रीत या वितरण या आयात के लिए विनिर्माण हेतु दंड ।

90. (1) जो कोई, स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अपद्रव्य को अन्तर्विष्ट करने वाले किसी उत्पाद को विक्रय के लिए विनिर्माण करता है या भंडारित करता है या उसका विक्रय करता है या आयात करता है,—

(क) यदि ऐसे कार्य का परिणाम से उपभोक्ता को कोई क्षति है, ऐसे कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा ;

(ख) ऐसी क्षति कारित करना, जो उपभोक्ता को हुई घोर अपहानि की कोटि में आती है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा ;

(ग) ऐसी क्षति कारित करना जिसका परिणाम उपभोक्ता को हुई घोर उपहति है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा ;

(घ) जिसका परिणाम उपभोक्ता की मृत्यु है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो सात वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकगा और ऐसे जुर्माने से, जो दस लाख रुपए से कम का नहीं होगा, से दंडनीय होगा ।

(2) उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन दंड के होते हुए भी, न्यायालय प्रथम बार की दोषसिद्धि के मामले तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस उपधारा में निर्दिष्ट व्यक्ति को जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति से दो वर्ष की अवधि के लिए निलंबित कर सकेगा और दूसरी बार या पश्चात् दोषसिद्धि के मामले में अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "अपद्रव्य" से ऐसी कोई सामग्री, जिसके अन्तर्गत बाह्य पदार्थ भी है, अभिप्रेत है जिसे उत्पाद को असुरक्षित बनाने के लिए नियंत्रित या प्रयुक्त किया जाता है ;

1860 का 45

(ख) "घोर उपहति" का वही अर्थ होगा जो उसका भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 320 में है ।

नकली माल के विक्रय के लिए विनिर्माण या उनके भंडारण या विक्रय या वितरण या आयात के लिए दंड ।

91. (1) जो कोई, स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी नकली माल का विक्रय के लिए विनिर्माण करता है या भंडारण करता है या विक्रय करता है या वितरण करता है या उसका आयात करता है, यदि ऐसा कार्य—

(क) ऐसी क्षति कारिता करना, जो उपभोक्ता को हुई घोर उपहति की कोटि में आती है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा ;

(ख) ऐसी क्षति कारिता करना, जिसका परिणाम उपभोक्ता को हुई घोर उपहति है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा ;

(ग) ऐसी क्षति कारित करना, जिसका परिणाम उपभोक्ता की मृत्यु है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा ;

(2) उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन दंड के होते हुए भी, न्यायालय प्रथम बार की दोषसिद्धि के मामले तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस उपधारा में निर्दिष्ट व्यक्ति को जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति दो वर्ष की अवधि के लिए निलंबित कर सकेगा और दूसरी बार या पश्चात् दोषसिद्धि के मामले में अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा ।

न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान।

92. केन्द्रीय प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा फाइल किए गए किसी परिवाद पर धारा 88 और धारा 89 के अधीन किसी अपराध के सक्षम न्यायालय द्वारा ही संज्ञान लिया जाएगा अन्यथा नहीं ।

तंग करने वाली तलाशी ।

93. धारा 22 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला महानिदेशक या कोई अन्य अधिकारी, जिसको यह जानकारी है कि ऐसा करने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है और फिर भी,—

(क) किसी परिसर की तलाशी लेता है या तलाशी करवाई जाती है ; या

(ख) किसी अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज या वस्तु का अभिग्रहण करता है,

ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

ई-वाणिज्य, प्रत्यक्ष विक्रय आदि में अनुचित व्यापार पद्धतियों को रोकने के लिए उपाय ।

94. ई-वाणिज्य, प्रत्यक्ष विक्रय में अनुचित व्यापार पद्धितियों को रोकने के प्रयोजनों के लिए और उपभोक्ताओं के हित और अधिकारों की संरक्षा करने के लिए भी केन्द्रीय सरकार ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे उपाय कर सकेगी ।

अध्यक्ष, सदस्य, मुख्य आयुक्त, आयुक्त और कतिपय अधिकारियों का लोक सेवक होना ।

95. जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तथा उसके अधिकारी और अन्य कर्मचारी, केन्द्रीय प्राधिकरण के मुख्य आयुक्त और आयुक्त, केन्द्रीय प्राधिकरण के महानिदेशक, अपर महानिदेशक, निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप-निदेशक, सहायक निदेशक और सभी अन्य अधिकारी और कर्मचारी तथा इस अधिनियम के अधीन किसी कर्तव्य का पालन करने वाले अन्य व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उपबंध के अनुसरण में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे । 1860 का 45

अपराधों का शमन ।

96. (1) धारा 88 और धारा 89 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के अभियोजन के संस्थित किए जाने के पहले या उसके पश्चात् ऐसी रकम के संदाय, जो विहित की जाए, का शमन किया जा सकेगा :

परंतु ऐसे अपराध का कोई शमन न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा और इसके समक्ष परिवाद धारा 92 के अधीन फाइल किया गया है :

परंतु यह और कि ऐसी राशि किसी भी दशा में जुर्माने की उस अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी जो इस प्रकार शमन किए गए अपराध के लिए इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित की जाए ।

(2) केन्द्रीय प्राधिकारी या कोई अधिकारी, जिसे इस निमित्त उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत की जाए, उपधारा (1) के अधीन अपराधों का शमन कर सकेगी ।

(3) उपधारा (1) में की कोई बात उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसने उस

तारीख से, जिसको उसके द्वारा अपराध किया गया था, तीन वर्ष की अवधि के भीतर वैसा ही या उसी प्रकार का अपराध किया था ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, उस तारीख से, जिसको अपराध पूर्वतर शमनित किया गया था, से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किया गया कोई दूसरा या पश्चातवर्ती अपराध पहला अपराध समझा जाएगा ।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का शमन किया गया है, वहां, यथास्थिति, कोई कार्रवाई या अगली कार्रवाई इस प्रकार शमन किए गए अपराध की बाबत अपराधी के विरूद्ध नहीं की जाएगी ।

(5) केन्द्रीय प्राधिकरण या इस निमित्त सशक्त केन्द्रीय प्राधिकरण के किसी अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अनुसार अपराध के शमन करने के लिए धनराशि स्वीकार करना दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अर्थान्तर्गत दोषमुक्ति के लिए रकम समझी जाएगी ।

1974 का 2

97. धारा 21 के अधीन संग्रहीत शास्ति और धारा 96 के अधीन संग्रहीत रकम ऐसी रीति में जमा की जाएगी, जो विहित की जाए ।

शास्ति जमा करने की रीति ।

98. कोई वाद या अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाइयां किसी ऐसे कार्य के लिए, जिसे इस अधिनियम के अनुसरण में या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अधीन सद्भावपूर्व किया गया है या किए जाने के लिए आशयित इस अधिनियम के अधीन किसी कर्तव्य का पालन करने वाले जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों, मुख्य आयुक्त, आयुक्त, किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद या अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाइयां नहीं होगी ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

99. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केन्द्रीय प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए या अपने कृत्यों का पालन करते हुए नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा आबद्धकर होगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर उसे लिखित में दे :

केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश देने की शक्ति ।

परंतु केन्द्रीय प्राधिकरण को, यावत्साध्य, इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने से पूर्व अपने अभिमत अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार का यह विनिश्चय कि कोई प्रश्न नीति का है या नहीं, अन्तिम होगा ।

100. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में ।

अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना ।

101. (1) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किन्हीं उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे :—

(क) धारा 2 के खंड (19) के अधीन अन्य वर्ग या व्यक्तियों के वर्ग, जिनके अन्तर्गत लोक यूटीलिटी अस्तित्व भी हैं ;

(ख) प्रतियोगिता, लाटरी, कौशल प्रधान खेल, जिन्हें धारा 2 के खंड (47) के उपखंड (iii) की मद (ख) के अधीन छूट प्रदान की जानी हैं ;

(ग) धारा 2 के खंड (47) की उपखंड (vii) के अधीन विक्रय किए गए माल या प्रदान की गई सेवाओं के लिए बिल या कैश मेमो या रसीद जारी करने की रीति ;

(घ) धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन केन्द्रीय परिषद् के अन्य शासकीय या गैर-शासकीय सदस्यों की संख्या ;

(ङ) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय परिषद् की बैठक का समय और स्थान और उसके कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया ;

(च) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण में आयुक्तों की संख्या;

(छ) धारा 11 के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, पदावधि, वेतन और भत्ते, उनके त्यागपत्र, उन्हें हटाया जाना और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ज) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(झ) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन महानिदेशक, अपर महानिदेशक, निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप-निदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और नियुक्ति की रीति ;

(ञ) धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन दस्तावेजों की प्रतियां या उद्धरण, व्यक्ति को वापस किए जाने से पूर्व अभिगृहीत या प्रस्तुत अभिलेख या वस्तु ग्रहण करने की रीति ;

(ट) धारा 22 की उपधारा (4) के अधीन अधिकारी और उन वस्तुओं का व्ययन करने की रीति, जो त्वरित या प्राकृतिक क्षय से ग्रस्त हैं ;

(ठ) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा लेखाओं की वार्षिक विवरणी तैयार करने का प्ररूप और रीति ;

(ड) वह प्ररूप, जिसमें और वह समय, जिसके भीतर वार्षिक रिपोर्ट, अन्य रिपोर्ट और विवरणियां धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा तैयार की जा सकेंगी ;

(ढ) धारा 29 के अधीन जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति के लिए प्रक्रिया, पदावधि, उनके त्यागपत्र और उन्हें हटाया जाना;

(ण) ऐसे माल और सेवाओं का अन्य मूल्य, जिसके सम्बन्ध में जिला आयोग को धारा 34 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन परिवाद ग्रहण करने की

अधिकारिता होगी ;

(त) धारा 35 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन परिवाद इलैक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करने की रीति ;

(थ) धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए फीस, फीस का संदाय करने का इलैक्ट्रॉनिक प्ररूप और रीति ;

(द) वे मामले, जो धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन मध्यक्ता द्वारा निपटान के लिए निर्दिष्ट नहीं की जा सकेंगी ;

(ध) धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के मामले में नमूने लिए गए माल के अधिप्रमाणन की रीति ;

(न) कोई अन्य विषय, जो धारा 38 की उपधारा (9) के खंड (च) के अधीन विहित किया जाए ;

(प) वह निधि, जहां प्राप्त रकम धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन जमा की जाए और ऐसे रकम के उपयोग की रीति ;

(फ) प्ररूप और रीति, जिसमें अपील धारा 41 के अधीन राज्य आयोग को की जा सकेगी ;

(ब) धारा 43 की उपधारा (4) के अधीन राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति के लिए प्रक्रिया, पदावधि, उनके त्यागपत्र और उन्हें हटाया जाना;

(भ) ऐसे माल और सेवाओं का अन्य मूल्य, जिसके सम्बन्ध में राज्य आयोग को धारा 47 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) के परंतुक के अधीन अधिकारिता प्राप्त होगी ;

(म) धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय आयोग को अपील फाइल करने का प्ररूप और रीति तथा अपील फाइल करने से पूर्व पचास प्रतिशत रकम जमा करने की रीति ;

(य) धारा 54 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की संख्या ;

(यक) धारा 55 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदाविधि, वेतन और भत्ते, पदत्याग, हटाया जाना तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(यख) धारा 57 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(यग) ऐसे माल और सेवाओं का अन्य मूल्य, जिसके सम्बन्ध में राष्ट्रीय आयोग को धारा 58 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) के परंतुक के अधीन अधिकारिता प्राप्त होगी ;

(यघ) धारा 67 के दूसरे परंतुक के अधीन पचास प्रतिशत रकम जमा करने की रीति ;

(यङ) वह प्ररूप, जिसमें राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग धारा 70 की उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय सरकार को सूचना प्रस्तुत करेंगे ;

(यच) धारा 74 की उपधारा (3) के अधीन उपभोक्ता मध्यक्ता सैल में व्यक्ति ;

(यछ) धारा 94 के अधीन ई-वाणिज्य, प्रत्यक्ष विक्रय में अनुचित व्यापार पद्धतियों को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय ;

(यज) धारा 96 की उपधारा (1) के अधीन अपराधों का शमन करने के लिए रकम ;

(यझ) वह निधि, जिसमें संग्रहीत शास्ति और रकम धारा 97 के अधीन जमा की जाएगी ; और

(यञ) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके सम्बन्ध में नियमों द्वारा उपबंध किए जाने हैं या किए जाएं ।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

102. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेंगी :

परंतु केंद्रीय सरकार उन सभी या किसी विषय के लिए आदर्श नियमों की विरचना कर सकेगी, जिनकी बाबत राज्य सरकार इस धारा के अधीन नियम बना सकेगी और जहां ऐसे किसी विषय की बाबत आदर्श नियमों की विरचना की गई है, वे राज्य को तब तक लागू होंगे जब तक उस विषय की बाबत राज्य सरकार द्वारा नियम नहीं बना लिए जाते हैं और ऐसे नियम बनाते हुए, जहां तक व्यवहार्य हों, वे आदर्श नियमों के अनुरूप होंगे ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 2 के खंड (19) के अधीन अन्य वर्ग या व्यक्तियों के वर्ग, जिनके अन्तर्गत लोक यूटीलिटी अस्तित्व भी हैं ;

(ख) प्रतियोगिता, लाटरी, कौशल प्रधान खेल, जिन्हें धारा 2 के खंड (47) के उपखंड (iii) की मद (ख) के अधीन छूट प्रदान की जानी हैं ;

(ग) धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन केन्द्रीय परिषद् के अन्य शासकीय या गैर-शासकीय सदस्यों की संख्या ;

(घ) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन राज्य परिषद् की बैठक का समय और स्थान और उसके कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया ;

(ङ) धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन जिला परिषद् के अन्य शासकीय या गैर-शासकीय सदस्यों की संख्या ;

(च) धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन जिला परिषद् की बैठक का समय और स्थान और उसके कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया ;

(छ) धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन जिला आयोग के सदस्यों की संख्या ;

(ज) धारा 30 के अधीन जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय

वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(झ) धारा 33 की उपधारा (3) के अधीन जिला आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ञ) धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन राज्य आयोग और जिला आयोग द्वारा लिए गए माल के नमूने के अधिप्रमाणन की रीति ;

(ट) धारा 41 के दूसरे परंतुक के अधीन अपील फाइल करने से पूर्व रकम का पचास प्रतिशत जमा करने की रीति ;

(ठ) धारा 42 की उपधारा (3) के अधीन राज्य आयोग के सदस्यों की संख्या ;

(ड) धारा 44 के अधीन राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ढ) धारा 46 की उपधारा (3) के अधीन राज्य आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ण) वह प्ररूप, जिसमें राज्य आयोग धारा 70 की उपधारा (5) के अधीन राज्य सरकार को सूचना प्रस्तुत करेगा ;

(त) धारा 74 की उपधारा (3) के अधीन उपभोक्ता मध्यक्ता सैल में व्यक्ति ;

(थ) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके सम्बन्ध में नियमों द्वारा उपबंध किए जाने हैं या किए जाएं ।

राष्ट्रीय आयोग की विनियम बनाने की शक्ति ।

103. (1) राष्ट्रीय आयोग, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम से संगत विनियम उन सभी विषयों के लिए विनियम बना सकेगा, जिनके लिए इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए उपबंध करना आवश्यक या समीचीन है ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे :—

(क) धारा 38 की उपधारा (7) के दूसरे परंतुक के अधीन जिला आयोग द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले स्थगन के लिए खर्चे ;

(ख) धारा 52 के दूसरे परंतुक के अधीन, यथास्थिति, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले स्थगन के लिए खर्चे ;

(ग) धारा 74 की उपधारा (4) के अधीन उपभोक्ता मध्यक्ता सैल द्वारा किसी अन्य सूचना का रखा जाना ;

(घ) धारा 74 की उपधारा (5) के अधीन जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग को उपभोक्ता मध्यक्ता सैल द्वारा त्रैमासिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने की रीति ;

(ङ) धारा 75 की उपधारा (2) के अधीन मध्यक के रूप में पैनलीकरण के लिए अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव, पैनलीकरण के लिए प्रक्रिया, पैनलीकृत मध्यकों के प्रशिक्षण करने की रीति, पैनलीकरण के निबंधन और शर्तें, पैनलीकृत मध्यकों के

लिए आचार संहिता, ऐसे आधार, जिन पर और वह रीति, जिसमें पैनलीकृत मध्यकों को हटाया जाएगा और पैनलीकरण को रद्द किया जाएगा और उससे सम्बन्धित अन्य विषय ;

(च) धारा 75 की उपधारा (3) के अधीन किसी अन्य अवधि के लिए मध्यकों के पुनः पैनलीकरण के लिए शर्तें ;

(छ) धारा 77 के खंड (ग) के अधीन मध्यकों द्वारा प्रकट किए जाने वाले अन्य तथ्य ;

(ज) वह समय, जिसके भीतर और वह रीति जिसमें मध्यकता धारा 79 की उपधारा (3) के अधीन संचालित किया जा सकेगा और

(झ) ऐसा अन्य विषय, जिसके लिए विनियम द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जाए ।

केन्द्रीय प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति ।

104. (1) केन्द्रीय प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा ऐसे नियम बना सकेगी जो इस अधिनियम से असंगत न हों ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन विशेषज्ञों और व्यवसायियों को नियोजित करने की प्रक्रिया तथा ऐसे विशेषज्ञों और व्यवसायियों की संख्या ;

(ख) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन मुख्य आयुक्त और आयुक्त के कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया तथा कारबार का आबंटन ;

(ग) वह प्ररूप, रीति और समय, जिसके भीतर महानिदेशक द्वारा किए गए जांच या अन्वेषण धारा 15 की उपधारा (5) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाएंगे ;

(घ) ऐसे अन्य विषय, जिनके लिए विनियम द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जा सकेगा ।

नियमों और विनियमों का संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना ।

105. (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम और विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम और विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

106. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

1986 का 68

निरसन और व्यावृत्ति ।

107. (1) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से संगत है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

1897 का 10

(3) उपधारा (2) में किन्हीं विशिष्ट विषयों का वर्णन साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 को साधारण लागू होने के प्रतिकूल या उसको प्रभावी करने वाला नहीं माना जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986, (1986 का 68) उपभोक्ताओं के हितों के बेहतर संरक्षण के लिए और उस प्रयोजन के लिए उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए उपभोक्ता परिषदों और अन्य प्राधिकरणों की स्थापना का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था । यद्यपि उक्त अधिनियम के अधीन उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरणों के कार्यकरण ने काफी हद तक इस प्रयोजन को पूरा किया है, किन्तु मामलों का निपटारा विभिन्न मजबूरियों के कारण शीघ्रतापूर्वक नहीं हो पाया है । उक्त अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को प्रशासित करते हुए कई कमियां प्रकाश में आयी है ।

2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को वर्ष 1986 में अधिनियमित किए जाने से लेकर माल और सेवाओं के लिए उपभोक्ता बाजारों में भारी परिवर्तन आया है । आधुनिक बाजारों में माल और सेवाओं का अम्बार लग गया है । वैश्विक प्रदाय ऋंखलाओं के आविर्भाव, अंतरराष्ट्रीय बाजार में वृद्धि और ई-वाणिज्य के तीव्र विकास के कारण माल और सेवाओं के परिदान की नई प्रणालियां विकसित हुई हैं, उपभोक्ताओं के लिए नए विकल्प और अवसर प्राप्त हुए हैं । इसके साथ-साथ इसके कारण उपभोक्ता नए प्रकार के अनुचित व्यापार और अनैतिक कारबार व्यौहारों के प्रति भेद्य हो गए हैं । भ्रामक विज्ञापन, टेलीमार्केटिंग, बहुस्तरीय विपणन, सीधे विक्रय और ई-वाणिज्य ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न की हैं और उपभोक्ताओं को क्षति से बचाने हेतु समुचित और शीघ्र कार्यपालक हस्तक्षेप अपेक्षित होगा । अतः, उपभोक्ताओं को बहुत सी और निरंतर उभरती भेद्यताओं से संरक्षित करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित करने की आवश्यकता है । पूर्वोक्त दृष्टिकोण से अधिनियम को निरसित करने और पुनः अधिनियमित करने का प्रस्ताव है ।

3. तद्नुसार, एक विधेयक, अर्थात् उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018, तारीख 5 जनवरी, 2018 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया और उस सदन द्वारा 20 दिसम्बर, 2018 को पारित किया गया । विधेयक के राज्य सभा में विचार के लिए लंबित रहते हुए, 16वीं लोक सभा का विघटन हो गया और विधेयक व्यपगत हो गया । अतः, वर्तमान विधेयक, अर्थात् उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 पुरःस्थापित किया जा रहा है ।

4. प्रस्तावित विधेयक उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्धन करने, संरक्षित करने और प्रवृत्त करने के लिए ; अनुचित व्यापार व्यवहारों से उद्भूत उपभोक्ताओं को नुकसान से बचाने के लिए, जब आवश्यक हो, तब हस्तक्षेप करने और वर्ग कार्रवाई प्रारंभ करने, जिसके अंतर्गत माल वापस मंगवाना, प्रतिदाय और माल की वापसी प्रवर्तित करना है, के लिए किसी कार्यपालक अभिकरण, जिसे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के नाम से जाना जाएगा, की स्थापना का उपबंध करता है । इससे विद्यमान विनियामक व्यवस्था में संस्थागत कमी की पूर्ति होगी । वर्तमानतः, अनुचित व्यापार व्यवहारों के निवारण या उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का कार्य किसी प्राधिकारी में निहित नहीं है । इसका उपबंध ऐसी रीति में किया गया है कि सीसीपीए के लिए अभिकल्पित भूमिका, सेक्टर विनियामकों और द्विगुणन की भूमिकाओं की पूर्ति करता है, तथा अतिव्याप्ति और संभावित द्वंद का परिवर्जन करता है ।

5. विधेयक में त्रुटियुक्त उत्पाद के कारण या सेवा में कमी द्वारा उपभोक्ताओं को कारित नुकसान के कारण उत्पाद दायित्व की कार्रवाई के लिए उपबंधों की परिकल्पना भी है । इसके अतिरिक्त अनुकल्पी विवाद समाधान क्रियाविधि के रूप में "मध्यकता" का उपबंध भी दिया गया है ।

6. विधेयक में, अन्य बातों के साथ-साथ, उपभोक्ता शिकायत प्रतितोष अभिकरणों की धनीय अधिकारिता को बढ़ाने ; राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में सदस्यों की न्यूनतम संख्या में वृद्धि करने और उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रानिक रूप से परिवाद फाइल करने, आदि से संबंधित उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरणों की उपभोक्ता विवाद न्यायनिर्णयन प्रक्रिया के सरलीकरण के उद्देश्य से विभिन्न उपबंधों की व्यवस्था है ।

7. यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
2 जुलाई, 2019

राम विलास पासवान

खंडों पर टिप्पण

खंड 1–यह खंड प्रस्तावित विधान का संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 2–यह खंड प्रस्तावित विधान में उपयुक्त पदों की परिभाषा के लिए उपबंध करता है ।

खंड 3–यह खंड केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की स्थापना के लिए उपबंध करता है जो केंद्रीय सरकार द्वारा सलाहकार परिषद होगी, यह इसकी संरचना का भी उपबंध करता है ।

खंड 4–यह खंड केंद्रीय परिषद की बैठक के लिए प्रक्रिया हेतु उपबंध करता है ।

खंड 5–यह खंड केंद्रीय परिषद के उद्देश्यों के लिए उपबंध करता है, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों संवर्धन और संरक्षण पर सलाह देगी ।

खंड 6–यह खंड राज्य सरकारों द्वारा राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना के लिए उपबंधित करता है, जो सलाहकारी परिषदें होंगी, यह इसकी संरचना का भी उपबंध करता है ।

खंड 7–यह खंड राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदों के उद्देश्यों के लिए उपबंध करता है जो उपभोक्ताओं के अधिकारो को संवर्धन और संरक्षण पर सलाह देगी ।

खंड 8–यह खंड राज्य सरकारों द्वारा जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना के लिए उपबंध करता है जिसमें सलाहकार परिषदें होंगी ।

खंड 9–यह खंड जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषदों के उद्देश्यों के लिए उपबंध करता है जो संवर्धन और संरक्षण उपभोक्ता के अधिकरों पर सलाह देने के लिए होगा ।

खंड 10–यह खंड मुख्य आयुक्त और ऐसी संख्या में अन्य आयुक्त जो विहित किए जाए, से मिलकर बने केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापन और इसके मुख्यालय और प्रादेशिक और अन्य कार्यालयों की स्थापना के लिए उपबंध करता है ।

खंड 11–यह खंड उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा केंद्रीय प्राधिकरण के मुख्य आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति की अर्हताएं, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, पदावधि वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, हटाना और निबंधन और सेवा की शर्तों के लिए उपबंध करता है ।

खंड 12–यह खंड उपबंध करता है कि केंद्रीय प्राधिकरण में रिक्तियां आदि केंद्रीय प्राधिकरण की किसी कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी ।

खंड 13–यह खंड उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार केंद्रीय प्राधिकरण, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की ऐसी संख्या, इस विधान के अधीन इसके कृत्यों का पर्याप्त निष्पादन के लिए, जो आवश्यक समझे, प्रदान करेगी और केंद्रीय सरकार वेतन और भत्ते तथा अधिकारियों के निबंधन और शर्तें विहित करने के लिए सशक्त करता है और विनियमों ऐसे विशेषज्ञों की संख्या और इसके कृत्यों को निर्वहन में सहायता के लिए वृत्तिकों लगाया जाने रहने के लिए केंद्रीय प्रधिकरण भी सशक्त करता है ।

खंड 14–यह खंड उपबंध करता है कि इस मुख्य आयुक्त और आयुक्तों में से इसके

कारबार और अबंटन के संव्यवहार इसकी प्रक्रिया विनियमित हेतु केंद्रीय प्राधिकरण के लिए उपबंध करता है और आयुक्तों को, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सके ।

खंड 15–यह खंड उपबंध करता है कि केंद्रीय प्राधिकरण में अन्वेषण खंड जिसकी अध्यक्षता महानिदेशक और ऐसे अपर महानिदेशक, निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक के साथ करेंगे । अपर महानिदेशक या निदेशक, संयुक्त निदेशक, या उप निदेशक या सहायक निदेशक को यथास्थिति जांच या अन्वेषण के संचालन के दौरान शक्तियां प्रत्यायोजित होगी । महानिदेशक द्वारा अन्वेषण या जांच के प्ररूप और रीति और केंद्रीय प्राधिकरण को प्रस्तुत करना, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

खंड 16–यह खंड उपभोक्ता अधिकार, अनुचित व्यवहारों और यथास्थिति केंद्रीय प्राधिकरण या प्रादेशिक कार्यालय के आयुक्त को रिपोर्ट अधिकारिता के भीतर मिथ्या विज्ञापन अतिक्रमण से संबंधित मामलों पर जिला कलक्टर की शक्तियों के लिए उपबन्ध करता है ।

खंड 17–यह खंड उपभोक्ता अधिकार या अनुचित व्यापार व्यवहार या भ्रामक विज्ञापन जिससे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण और जिला कलक्टर या केंद्रीय प्राधिकरण के प्रादेशिक अधिकारी के आयुक्त के समक्ष वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के हित प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उससे संबंधित परिवाद फाइल करने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 18–यह खंड केन्द्रीय प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्यों के लिए उपबंध करता है ।

खंड 19–यह खंड केंद्रीय प्राधिकरण की महानिदेशक या जिला कलक्टर द्वारा जांच कारित करने की शक्ति का या जांच के मामले को किसी अन्य विनियामक को निर्दिष्ट करने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 20–यह खंड, माल वापस या सेवाओं के प्रत्याहन जो खतरनाक, परिसंकटमय या अनुरक्षित; मालों की कीमतों की प्रतिपूर्ति या ऐसे मालों या सेवाओं के क्रेताओं का वापस करना; और व्यवहारों को बंद करना जो अनुचित है, उपभोक्ता के हितों के प्रतिकूल हैं, के लिए केंद्रीय प्राधिकरण की शक्ति के लिए उपबंध करता है ।

खंड 21–यह खंड शास्ति अधिरोपण सहित मिथ्या भ्रामक विज्ञापन कार्यवाही करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण की शक्ति के लिए उपबंध करता है ।

खंड 22–यह खंड महानिदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की प्रारंभिक जांच के पश्चात् तलाशी और अभिग्रहण, यदि यह विश्वास करने का कोई कारण हो कि किसी व्यक्ति ने किन्हीं उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन किया है या अनुचित व्यापार व्यवहार कारित किया है या कोई मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन कारित किया है, की शक्ति का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 23–यह खंड उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार यदि आवश्यक समझे, अधिसूचना द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए और धारा 10 में निर्दिष्ट केंद्रीय प्राधिकरण के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए कानूनी प्राधिकरण या निकाय अभिहित कर सकेगी ।

खंड 24–यह खंड केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा खंड 20 और खंड 21 के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग में अपील करने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 25–यह खंड इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग हाते हुए केंद्रीय प्राधिकरण करते हुए उपबंध करता है ।

खंड 26–यह खंड उचित लेखाओं के अनुरक्षण और अन्य सुसंगत अभिलेख अभिलेखों लेखा के वार्षिक की तैयारी विवरण से प्ररूप में जो भारत की नियंत्रक–महालेखा परीक्षक के परामर्श में केंद्रीय द्वारा विहित किए जा सके, के लिए उपबंध करता है ।

खंड 27–यह खंड उपबंध करता है कि केंद्रीय प्राधिकरण, इसके कृत्यों और निष्पादन तथा ऐसे अन्य रिपोर्ट एंव विवरणियां, जो केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किए जाने के लिए निदेश हो सके, पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

खंड 28–यह खंड एक अध्यक्ष और दो से अन्यून सदस्यों तथा ऐसी संख्या से अनधिक सदस्यों, जो केंद्रीय सरकार के परामर्श से विहित की जाए, प्रत्येक जिला आयोग में एक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा गठन का उपबंध करने के लिए है । यह खंड राज्य सरकार को किसी जिले में एक से अधिक जिला आयोग स्थापित करने के लिए भी सशक्त करता है ।

खंड 29–यह खंड अर्हताएं, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति के लिए प्रक्रिया, पदावधि, त्यागपत्र और अध्यक्ष तथा जिला आयोग के सदस्यों के लिए नियम बनाने हेतु केंद्रीय सरकार सशक्त करता है ।

खंड 30–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शार्तों का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 31–यह खंड उपबंध करता है कि अध्यक्ष इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पूर्व जिला आयोग के यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति उस पदावधि जिसके लिए नियुक्ति की गई है, के पूरा होने तक पद धारण करेगा ।

खंड 32–यह खंड राज्य सरकार को, अध्यक्ष या जिला आयोग के सदस्य के कार्यालय में रिक्तियों को, किसी अन्य जिला आयोग को उस जिले की बाबत अधिकारिता को प्रयोग; या अध्यक्ष या किसी अन्य जिला आयोग के सदस्य को अध्यक्ष या जिला आयोग के सदस्य की भी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन करते हुए, भरने के लिए कहने हेतु सशक्त करता है ।

खंड 33–यह खंड राज्य सरकार हेतु उपबंध करता है कि जिला आयोग को ऐसे अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों जैसा कि अपेक्षित हो, जिला आयोग को उनके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए, उपबन्ध करवाए तथा जिला आयोग के अन्य कर्मचारी जिला आयोग के अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे । यह खंड राज्य सरकार द्वारा जिला आयोग के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते और सेवा के अन्य अनुदेशों और शर्तों को विहित करने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 34–यह खंड जिला आयोग में परिवाद फाइल करने के लिए धनीय तथा भौगोलिक अधिकारिता का उपबंध करता है । कोई उपभोक्ता उस जिला आयोग में

जिसकी स्थानीय अधिकारिता में वह निवास करता है या व्यैक्तिक रूप से अभिलाभ हेतु कार्य करता है, परिवाद फाइल कर सकता है ।

खंड 35–यह खंड उस रीति, जिसमें परिवाद लाया जा सकेगा, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रोनिक रूप से परिवाद फाइल करना, परिवाद फाइल करने के लिए विहित की जाने वाली फीस है, का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 36–यह खंड जिला आयोग द्वारा कार्यवाहियों को संचलित करने की रीति का उपबंध करता है ।

खंड 37–यह खंड, जिला आयोग द्वारा परिवाद में मध्यक्तों के लिए दोनों पक्षों की सहमति पर, निर्देश करने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 38–यह खंड जिला फोरम द्वारा किसी परिवाद को स्वीकार करने की प्रक्रिया का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 39–यह खंड परिवाद में संचालित कार्यवाहियों के पश्चात् जिला आयोग के निष्कर्ष का उपबंध करता है, यदि जिला आयोग का यह समाधान हो जाता है कि वह माल, जिनके विरुद्ध शिकायत की गई है, में उस परिवाद में विनिर्दिष्ट कोई त्रुटि है या परिवाद में अंतर्विष्ट कोई अभिकथन या कोई अनुचित व्यापार व्यवहार साबित होता है । यह खंड उस अनुतोष या प्रतिकर को विनिर्दिष्ट करता है, जिसे जिला जिला आयोग किसी उपभोक्ता को मंजूर कर सकता है ।

खंड 40–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि जिला आयोग को अपने आदेशों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी, यदि अभिलेख पर कोई त्रुटि स्पष्ट हो तो ।

खंड 41–यह खंड, आदेश की तारीख से तैंतालीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे प्ररूप तथा रीति में जो विहित किया जाए, तथ्यों या विधि के आधारों पर जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग को अपील करने का उपबंध करता है; खँड 80 के अधीन दोनों पक्षों में समौते के आधार पर पारित आदेश के विरुद्ध अपील पर रोक; राज्य आयोग द्वारा आदेश की तारीख से तैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण करना यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उक्त अविधि के भीतर अपील फाइल ने करने के लिए पर्याप्त हेतुक था; राज्य आयोग केवल, अपीलार्थी द्वारा ऐसी रीति में जो विहित की जाए परिवादी को आदेश में संदत्त की जाने वाली रकम का पचास प्रतिशत जमा करने के पश्चात् ही अपील ग्रहण करे ।

खंड 42–यह खंड, राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोग की स्थापना, राज्य आयोग की प्रादेशिक न्यायपीठों की स्थापना, राज्य आयोग की संरचाना, जिसमें क अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या चार से अन्यून और इतनी संख्या से अनधिक होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार के परामर्श से विहित किया जाए, का उपबंध करता है ।

खंड 43–यह खंड, केंद्रीय सरकार को राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, पदावधि, त्यागपत्र और हटाए जाने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

खंड 44–यह खंड उपबंधित करता है कि राज्य सरकार, राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवाओं की अन्य निबंधनें और शर्तें और उपबंधित करने के लिए नियम बनाएगी ।

खंड 45–यह खंड उपबंधित करता है कि इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व राज्य आयोग के यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, उसके कार्यकाल की समाप्ति तक यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपना पद धारण करेगा ।

खंड 46–यह खंड राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोग को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए अपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को प्रदान करने और राज्य आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवाओं की अन्य निबंधनें और शर्तें विहित करने के लिए भी उपबंध करता है ।

खंड 47–यह खंड राज्य आयोग में परिवादों को दाखिल करने के लिए धनीय और भौगोलिक अधिकारिता का उपबंध करता है । एक करोड़ रूपये से अधिक परंतु दस करोड़ रूपये से अनधिक मूल्य के माल और सेवाओं के लिए धनीय अधिकारिता होगी। यह यह भी उपबंध करता है कि उपभोक्ता उस राज्य आयोग की स्थानीय सीमाओं जिसके अधिकारिता में वह निवास करता है या व्यक्तिगत अभिलाभ के लिए कार्य करता है में भी परिवाद दाखिल कर सकेगा ।

खंड 48–यह खंड राज्य आयोग को सशक्त करता है कि वह कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर राज्य के भीतर एक जिला आयोग के समक्ष लंबित किसी परिवाद का यदि न्यायहित में ऐसी अपेक्षा की जाती है, से दूसरे जिला आयोग को अंतरण कर सकेगा ।

खंड 49–यह खंड उपबंधित करता है कि खंड 35, खंड 36, खंड 37, खंड 38 और खंड 39 के उपबंध ऐसे उपांतरणों सहित जो लागू हो, राज्य आयोग द्वारा मामलों के निपटान के लिए लागू होंगे और राज्य आयोग संविदा की निबंधनें जो किसी उपभोक्ता के लिए अऋजु हो, को अकृत और शून्य घोषित करने से संबंधित मामलों से व्यवहार करेगा ।

खंड 50–यह खंड राज्य आयोग को उसके द्वारा किए गए किसी आदेश को जब अभिलेख को देखते ही त्रुटि प्रकट हो, ऐसे आदेश से तीस दिवसों की अवधि के भीतर अभिलेख को देखने से ही त्रुटि प्रकट हो, तो या तो वह अपने स्वयं की प्रेरणा पर या पक्षकारों में से किसी के द्वारा कि गए आवेदन पर पुनर्विलोकित करने के लिए सशक्त करता है ।

खंड 51–यह खंड उपबंधित करता है कि यदि अपील में विधि का सारवान् प्रश्न अंतर्वलित हो तो ऐसे प्रारूप और रीति में जो विहित की जाए आदेश की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर राज्य आयोग के आदेश की राष्ट्रीय आयोग को अपील करने; और ऐसे तीस दिवस की अवधि के पश्चात् राष्ट्रीय आयोग द्वारा यदि यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर दाखिल नहीं किए जाने के पर्याप्त कारण थे, अपील ग्रहण करने का; राष्ट्रीय आयोग द्वारा केवल अपीलार्थी द्वारा संदेय के लिए आदेश की गई रकम के पचास प्रतिशत का विहित रीति में निक्षेप किए जाने पर अपील ग्रहण करने, का उपबंध करता है ।

खंड 52–यह खंड राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा अपील के ग्रहण करने की तारीख से नब्बे दिवस की अवधि के भीतर उसके निपटान के लिए; पर्याप्त कारण के बिना स्थगन प्रदान नहीं करने के लिए; और यदि अपील नब्बे दिवस की विनिर्दिष्ट अवधि

के पश्चात् निपटाई जाती है तो लिखित में कारण अभिलिखित करने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 53–यह खंड केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना करने का उपबंध करता है जो साधारणतया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्य करेगा और ऐसे अन्य स्थानों पर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयोग से परामर्श करके राजपत्र में अधिसूचित किए जाए कृत्यों का निर्वहन करेगा । केन्द्रीय सरकार के लिए अन्य स्थानों पर, जहां वह उचित समझे, राष्ट्रीय आयोग की प्रादेशिक न्यायपीठ स्थापित करने के लिए भी उपबंध करता है।

खंड 54–यह खंड अध्यक्ष और चार से अनधिक सदस्यों जैसा की केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए के साथ राष्ट्रीय आयोग की संरचना का उपबंध करता है ।

खंड 55–यह खंड केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हता, नियुक्ति, पदावधि, वेतन, और भत्ते, पद त्याग, हटाए जाने और सेवा की अन्य निबंधनों और शर्तों के लिए नियम बनाने हेतु इस उपबंध के साथ की राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्य केन्द्रीय सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेंगे लेकिन उस तारीख से जिसको उन्होंने पद धारण किया है पांच वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगा और वे पुनर्नियुक्ति के भी पात्र होंगे तथा कोई अध्यक्ष या सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट आयु जो अध्यक्ष की दशा में सत्तर वर्ष और किसी अन्य सदस्य की दशा में पैंसठ वर्ष से अधिक नहीं होगी, के पश्चात् पद धारण नहीं करेंगे, के लिए सशक्त करने का उपबंध करता है । इस खंड का उपखंड 3 उपबंध करता है कि ना तो राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते का, ना ही उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों का उनकी नियुक्ति के पश्चात् अलाभकारी परिवर्तन किया जाएगा ।

खंड 56–यह खंड उपबंधित करता है कि वित्त अधिनियम 2017 की धारा 177 के ठीक पूर्व नियुक्त अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा उसी प्रकार शासित होते रहेंगे मानो यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ था ।

खंड 57–यह खंड केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयोग को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए ऐसी संख्या में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को प्रदान करने और राष्ट्रीय आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवाओं की अन्य निबंधनें और शर्तें विहित करने के लिए भी उपबंध करता है ।

खंड 58–यह खंड राष्ट्रीय आयोग में शिकायत दाखिल करने के लिए मूल और अपीलीय अधिकारिता के लिए उपबंध करता है । धनीय अधिकारिता दस करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की माल और सेवाओं के लिए लागू होगी ।

खंड 59–यह खंड उपबंधित करता है कि खंड 35, 36, 37, 38 और 39 के उपबंधों के अधीन शिकायतें ऐसे उपांतरणों सहित जो आवश्यक हों, राष्ट्रीय आयोग द्वारा मामलों के निपटान के लिए लागू होंगी । उपखंड (2) उपबंधित करता है कि राष्ट्रीय आयोग संविदा के किन्हीं निबंधनों को, जो उपभोक्ता के लिए अऋजु हों, को अकृत और शून्य घोषित कर सकेगा ।

खंड 60–यह खंड राष्ट्रीय आयोग द्वारा अपने आदेश का या तो स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर, यदि अभिलेख के देखने से ही स्पष्ट त्रुटि दिखाई पड़ती है पुनर्विलोकन करने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 61–यह खंड व्यथित पक्षकार द्वारा राष्ट्रीय आयोग को उसके द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश अपास्त करने के लिए आवेदन करने का उपबंध करता है।

खंड 62–यह खंड राष्ट्रीय आयोग को सशक्त करता है कि वह कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर या तो स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर एक राज्य के एक जिला आयोग के समक्ष लंबित किसी परिवाद का दूसरे राज्य के जिला आयोग को या एक राज्य आयोग से दूसरे राज्य आयोग को अंतरण कर सकेगा ।

खंड 63–यह खंड उपबंधित करता है कि जब राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त है या कोई व्यक्ति, जो ऐसा पद धारण किए हुए है, किसी कारण से या अन्यथा अनुपस्थित है, किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ है तब यह कर्तव्य राष्ट्रीय आयोग के ज्येष्ठतम सदस्य द्वारा निष्पादित किए जाएंगे ।

खंड 64–यह खंड उपबंधित करता है कि जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि इनके सदस्यों में से कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ।

खंड 65–यह खंड सूचना की तामील के लिए प्रक्रिया का उपबंध करता है ।

खंड 66–यह खंड उपबंधित करता है कि उपभोक्ता के वृहद हित में राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग किसी व्यक्ति या संगठन या विशेषज्ञ को राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग की सहायता करने का निदेश दे सकेंगे ।

खंड 67–यह खंड उपबंध करता है राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील होगी और ऐसी प्रत्येक अपील उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रीय आयोग द्वारा आदेश की गई रकम, जो ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में संदत्त की जानी है, के पचास प्रतिशत का अपीलार्थी द्वारा निक्षेप करने के पश्चात् ही होगी ।

खंड 68–यह खंड उपबंध करता है कि जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग यथास्थिति का प्रत्येक आदेश यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाती, अंतिम होगा ।

खंड 69–यह खंड उस तारीख से, जिसको वाद हेतुक उद्भूत हुआ है, दो वर्ष की अवधि के भीतर, परिवाद फाइल करने के लिए उपबंध करता है जिसमें आगे यह उपबंध करता है कि परिसीमा अवधि के पश्चात् परिवाद स्वीकार किया जा सकेगा यदि परिवाद का यह समाधान हो जाता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर परिवाद फाइल न करने का पर्याप्त कारण था । यह खंड यह भी उपबंध करता है कि ऐसा कोई परिवाद तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या जिला आयोग ऐसी देरी को क्षमा करने के कारणों को लेखबद्ध नहीं कर लेता ।

खंड 70–इस खंड का उपखंड (1) राज्य आयोगों और जिला आयोगों पर राष्ट्रीय आयोग का प्रशासनिक नियंत्रण यह सुनिश्चित करने के लिए, करने का उपबंध करता है कि इस अधिनियम के सर्वाधिक प्रयोजन पूरे हों और उनकी अर्द्ध न्यायिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किए बिना राष्ट्रीय आयोग द्वारा स्थापित मानक कार्यान्वित किए जाएं । राष्ट्रीय

आयोग को प्रशासनिक नियंत्रण करने में उपभोक्ताओं के हितों के बेहतर संरक्षण के लिए केंद्रीय सरकार से समय-समय पर परामर्श करके यथोचित मानक अधिकथित करने का, मामलों के संस्थन, निपटारे और लंबित रहने की बाबत सावधिक विवरण मंगाकर उनके निपटारे के रूप में राज्य आयोग के कार्यपालन को मानीटर करने का ; किसी राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के विरुद्ध किन्हीं अभिलेखों का अन्वेषण करने और आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय सरकार को पृष्ठांकित प्रति सहित संबंधित राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का ; मामले की सुनवाई, एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को पेश किए गए दस्तावेजों की प्रतियों की पूर्व तामील, किसी भी भाषा में लिखे गए निर्णयों का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत करने ; दस्तावेजों की प्रति का शीघ्र देने ; राज्य आयोग या जिला आयोग के या तो निरीक्षण के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, जो अध्यक्ष समय-समय पर आदेश करे, के लिए एकरूपी प्रक्रिया अपनाने की बाबत अनुदेश जारी करने का प्राधिकार होगा ।

उपखंड (2) प्रशासनिक दृष्टिकोण से राज्य आयोगों के कृत्यों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष द्वारा मानीटरी सैल का गठन करने के लिए उपबंध करता है ।

उपखंड (3) राज्य आयोग उपखंड (1) और उपखंड (2) में निर्दिष्ट सभी मामलों में इसकी अधिकारिता के भीतर सभी जिला आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने के लिए उपबंध करता है ।

उपखंड (4) केन्द्रीय सरकार को, राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग द्वारा कोई जानकारी जिसके अंतर्गत लंबित मामलें भी है कालिक रूप से या जब कभी आवश्यक है, देने के लिए उपबंध करता है ।

उपखंड (5) राज्य सरकार को, राष्ट्रीय आयोग द्वारा कोई जानकारी, जिसके अंतर्गत लंबित मामले भी हैं, कालिक रूप से या जब कभी आवश्यक हो, देने का उपबंध करता है ।

खंड 71–यह खंड जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए आदेशों को उसी रीति में प्रवर्तित प्रवर्तित किए जाने का उपबंध करता है, मानों वह किसी न्यायालय में उसके समक्ष लंबित वाद में की गई डिक्री हो और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की पहली अनुसूची के आदेश 21 के उपबंध, यथाशक्य इस उपांतरण के साथ हुए लागू होंगे कि डिक्री के प्रति उसमें प्रत्येक निर्देश का अर्थ अधिनियम के अधीन किए गए आदेश के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा ।

खंड 72–यह खंड जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए किसी आदेश का अनुपालन नहीं करने पर दंड का उपबंध करता है, जो ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास से कम नहीं होगी किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ; जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग को उपखंड (1) के अधीन अपराधों के विचारण के लिए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति होगी और ऐसी शक्तियों को प्रदत्त किए जाने पर, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रयोजन के लिए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट समझा जाएगा । उपखंड (3) जिला आयोग या राज्य

आयोग या राष्ट्रीय आयोग की संक्षिप्त विचारण की शक्ति का उपबंध करता है ।

खंड 73–यह खंड 72 के अधीन पारित किए गए आदेश के विरुद्ध अपील करने किए उपबंध करता है । उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के किसी भी आदेश से किसी न्यायालय के समक्ष कोई अपील नहीं होगी । उपखंड (3) जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के आदेश की तारीख से तीस दिन के समय का उपबंध करता है और राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग या उच्चतम न्यायालय द्वारा तीस दिन के पश्चात् अपील ग्रहण करने के लिए विलंब को माफ करने का उपबंध भी करता है, यदि यह समाधान कर दिया जाता है कि अपीलार्थी के पास तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण था ।

खंड 74–यह खंड जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग तथा प्रत्येक क्षेत्रीय शाखा को संलग्न करने के लिए उपभोक्ता मध्यस्ता सेल की स्थापना करने का उपबंध करता है; उपखंड (3) राज्य और केंद्रीय सरकार को मध्यस्था सेल की संरचना करने का निर्धारण करने के लिए सशक्त करता है; उपखंड (4) उपबंध करता है कि प्रत्येक मध्यस्था सेल पैनलीकृत मध्यस्ता की एक सूची, सेल द्वारा निपटाए गए मामले की कार्यवाही का अभिलेख, किसी अन्य मामले की जानकारी जो विनियम द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, रखेगी तथा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से संलग्न तिमाही रिपोर्ट जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग को प्रस्तुत करेगा ।

खंड 75–यह खंड जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग से संलग्न मध्यस्ता सेल में पैनलीकृत मध्यस्थों की प्रक्रिया के लिए उपबंध करता है और पैनलीकृत मध्यस्त पांच वर्ष के लिए विधिमान्य होंगे और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, अन्य अवधि के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र होंगे ।

खंड 76–यह खंड पैनल से मध्यतों को नामित करते समय अग्रवीलितत उपभोक्ता विवाद उपयुन्तता को सुलझाने के लिए उनकी पर विचार करने का प्रावधान करता है

खंड 77–यह खंड प्रावधान करता है कि यह मध्यस्थ का कर्तव्य है कि उन परिस्थितियों का प्रकतन करे, जिनसे उसकी स्वत्रन्ता या विव्यक्षता के बारे में न्यायोचित शाखा उत्पन्न हो ।

खंड 78–यह खंड जिला कमीशन या अन्य कमीशन या राष्ट्रीय को मध्यस्क द्वारा दी गई सूचना पर, या किसीअन्य व्यक्ति, जिसमें परिवार का पक्षपर भी है, से प्राप्त सूचना पर और मध्यस्थ को सुनने के पश्चात् मध्यक को प्रतिस्थापित करने का प्रावधान करता है ।

खंड 79–यह खंड मध्यक्ता की प्रक्रिया के लिए प्रावधान करता है ।

खंड 80–यह खंड मध्यस्थ के द्वारा समझौते के सम्बन्ध में उपबन्ध करता है मध्यक की भूमिका जब सभी उपभोक्ता विवाद के विषय के सम्बन्ध में या केवल कुछ विषयों के सम्बन्ध के साथ पक्षकारों के बीच करार हो जाए और उन परिस्थितियों को जहां पक्षकारी के बीच कोई करार न हो ।

खंड 81–यह खंड उपबन्धित करता है कि जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग निपटान रिपोर्ट की प्राप्ति के सात दिन के भीतर ऐसे उपभोक्ता विवाद के

निपटारे तथा मामले के निपटान को अन्तर्विलत सभी मुद्दों की सुनवाई जारी रखेगा जहां पर विवादों को निपटाया नहीं जा सका है

खंड 82–यह खंड उत्पाद विक्रेता द्वारा विक्रय या उत्पाद सेवा प्रदाता द्वारा सेवा या उत्पाद विनिर्माता द्वारा विनिर्माण किए गए त्रुटिपूर्ण उत्पाद के कारण हुई किसी हानि के लिए परिवाद द्वारा उत्पाद दायित्व कार्यवाही के लिए उपबंध करता है ।

खंड 83–यह खंड अभिकथित करता है कि उत्पाद दायित्व कार्यवाहि त्रुटिपूर्ण उत्पाद के कारण उसको हुई किसी हानि के लिए उत्पाद विनिर्माता या उत्पाद सेवा प्रदाता या उत्पाद विक्रेता के विरुद्ध परिवादी द्वारा की जा सकेगी ।

खंड 84–यह खंड उत्पाद विनिर्माता के दायित्व आधारों का उपबंध करता है ।

खंड 85–यह खंड उपबंधित करता है कि उत्पाद सेवा प्रदाता उत्पाद दायित्व कार्यवाही में किन आधारों पर दायी होगा ।

खंड 86–यह खंड उन परिस्थितियों को उपबन्धित करता है जिसके अधीन उत्पाद विक्रेता जो एक उत्पाद विनिर्माता नहीं है उत्पाद दायित्व कार्यवाही में दायी होगा ।

खंड 87–यह खंड उत्पाद विक्रेता और विनिर्माता के विरुद्ध उत्पाद दायित्व कार्यवाही के अपवादो को उपबन्धित करता है ।

खंड 88–यह खंड, खंड 20 और खंड 21 के अधीन केन्द्रीय प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहने पर शास्ति का उपबंध करता है ।

खंड 89–यह खंड उपबन्धित करता है कि कोई विनिर्माता या सेवा प्रदाता, जो किये जाने वाले ऐसे मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन कारित करता है जो उपभोक्ताओं के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता, वह ऐसी अवधि कारावास से, जो दो वर्ष का हो सकेगा औश्र ऐसे जुर्माना से जो 10 लाख रुपय तक हो सकेगा, से दडनीय होगा । और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसी अवधि के कारावास, जो 5 वर्ष हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से जो 50 लाख रुपए तक हो सकेगा दण्डनीय होगा ।

खंड 90–यह खंड किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा कारावास और जुर्माने के साथ उच्चतम दंड का उपबंध करने के लिए है जो स्वयं या उसकी ओर से अन्य व्यक्ति द्वारा किसी उपद्रव्य अंतर्निहित उत्पाद के विक्रय के लिए विनिर्मित करता है या भंडारण या विक्रय या वितरण या आयात करता है तो उस व्यक्ति को जारी की गई अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द करने का प्रावधान करता है ।

खंड 91–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि जो कोई स्वयं या उसकी ओर से किसीअन्य व्यक्ति द्वारा नकलीमाल से विक्रय के लिए विनिर्माण करताहै या भण्डारणकरता है, या वितरण या उसका आयात करता है तो उस व्यक्ति को न्यायालय द्वारा कारावास के साथ साथ उसकी अनुज्ञप्ति को निलम्बित व आरोहण का प्रावधान करती है ।

खंड 92–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि केंद्रीय प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा फाइल किये गये किसी परिवाद खंड 88 और खंड 89 के अधीन किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ही संज्ञान लिया

जाऐगा ।

खंड 93–यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि खंड 22 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला महानिदेशक या कोई अन्य अधिकारी, जिसको यह जानते हुए कि ऐसा करने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है और फिर भी किसी परिसर की तलाशी लेता है या किसी अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज या वस्तु का अभिग्रहण करता है, ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का है सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा ।

खंड 94–यह खंड यह उपबंधकरता है कि ई–वाणिज्य, प्रत्यक्ष विक्रय में अनुचित व्यापार पद्धतियों को रोकने के लिए और उपभोक्ताओं के हित और अधिकारों की सरक्षा करने के लिए भी केंद्रीय सरकार ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, ऐसे उपाय कर सकेगी ।

खंड 95–यह खंड यह उपबंध करता है कि जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तथा उसके अधिकारी और अन्य कर्मचारी, केन्द्रीय प्राधिकरण के मुख्य आयुक्त और सभी अन्य अधिकारी और कर्मचारी तथा इस अधिनियम के अधीन किसी कर्तव्य का पालन करने वाले अन्य व्यक्ति, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जायेगे ।

खंड 96–इस खंड में यह प्रावधान है कि खंड 88 और खंड 89 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के अभियोजन के संस्थित किए जाने के पहले या उसके पश्चात् ऐसी रकम के संदाय,जो विहित की जाए, का शमन किया जा सकेगा ।

खंड 97–यह खंड, खंड 21 के अधीन संग्रहीत शास्ति और खंड 96 के अधीन संग्रहीत रकम ऐसी रीति से जमा की जायेगी, जो विहित की जाए ।

खंड 98–यह खंड जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग या मुख्य आयुक्त, आयुक्त किसी भी अधिकारी या कर्मचारियों को प्रस्तावित विधायन के अधीन कोई भी कर्तव्य करने वाले अन्य व्यक्ति के सदस्यों द्वारा सद्भावपूर्वक विश्वास से किये गये कार्यवाही से संरक्षण का प्रावधान करता है ।

खंड 99–यह खंड यह उपबंधित करता है कि केन्द्रीय सरकार नीतिगत प्रश्नों पर केंद्रीय प्राधिकरण को निदेश देने की शक्ति है ।

खंड 100–यह खंड यह उपबंधित करता है कि इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसीअन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में ।

खंड 101–यह खंड यह उपबंधित करता है कि केंद्रीय सरकार को नियमों को बनाने की शक्ति का प्रावधान करता है ।

खंड 102–यह खंड यह उपबंधित करता है कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाने गये आदर्श नियमों की विरचना के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है ।

खंड 103–यह खंड राष्ट्रीय आयोग को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम से संगत विनियम उन सभी विषयों के लिए विनियम बना सकेगा, जिनके लिए प्रस्तावित विधान के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक और समीचीन है ।

खंड 104–यह खंड उपबंध करता है कि केन्द्रीय प्राधिकरण को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावीकरने के प्रयोजन के लिए ऐसे विनियमन कर सकता है जो इस अधिनियम से संगत हो ।

खंड 105–यह खंड संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तावित विधायन के अधीन केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय प्राधिकारी द्वारा बनाए गए और राज्य विधान सभा के समक्ष राज्य सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम को रखे जाने का उपबंध करता है ।

खंड 106–यह खंड कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति को उपबंधित करता है, जो प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने में पैदा होती है ।

खंड 107–यह खंड निरसन और व्यावृत्ति के सम्बन्ध में उपबंध करता है ।

वित्तीय ज्ञापन

खंड 10 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (केंद्रीय प्राधिकरण) के नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए है, जिसकी अध्यक्षता एक मुख्य आयुक्त द्वारा की जाएगी और उसमें ऐसी संख्या में अन्य आयुक्त सम्मिलित होंगे और जो प्रस्तावित विधान के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा ।

2. खंड 11 केंद्रीय प्राधिकरण के मुख्य आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति की अर्हताओं, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, सेवा से हटाने और अन्य निबंधनों और शर्तों के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा नियम बनाने का उपबंध करने के लिए है ।

3. खंड 13 उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार केंद्रीय प्राधिकरण को उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए उचित समझे तथा केंद्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं । यह भी उपबंध करता है कि केंद्रीय प्राधिकरण विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उतने विशेषज्ञों और व्यवसायविदों को नियोजित कर सकेगा, जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में सहायता के लिए आवश्यक समझे ।

4. खंड 15 यह उपबंध करता है कि केंद्रीय प्राधिकरण का जांच और अन्वेषण संचालित करने के लिए एक खंड होगा तथा जांच और अन्वेषण करने के लिए वह महानिदेशक तथा उतने अपर महानिदेशक, निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक नियुक्त कर सकेगा ।

5. खंड 30 राज्य सरकार द्वारा जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन तथा भत्तों और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का उपबंध करता है ।

6. खंड 33 उपबंध करता है कि राज्य सरकार जिला आयोग की उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी तथा जिला आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्तों तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों को राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाएगा ।

7. खंड 44 राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों, जिनको राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाएगा, का उपबंध करता है ।

8. खंड 46 यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार, राज्य आयोग के कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी तथा राज्य आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्तों तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों को राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाएगा ।

9. खंड 55 यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और

सदस्यों की अर्हताओं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्तों, त्यागपत्र, पद से हटाना तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों का उपबंध करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

10. खंड 57 का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के परामर्श से राष्ट्रीय आयोग की उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो वह उचित समझे । उपखंड (3) यह उपबंध करता है कि राष्ट्रीय आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, वे होंगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

11. खंड 70 का उपखंड (2) राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से राज्य आयोगों के कृत्यों की निगरानी के लिए मानीटरी प्रकोष्ठ गठित करने के लिए है ।

12. खंड 74 का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि राज्य के प्रत्येक जिला आयोग और राज्य आयोग के साथ संबद्ध एक उपभोक्ता मध्यक्ता प्रकोष्ठ की स्थापना करेगी । उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय आयोग से संबद्ध एक उपभोक्ता मध्यक्ता प्रकोष्ठ की स्थापना करेगी । उपखंड (3) उपबंध करता है कि उपभोक्ता प्रकोष्ठ उतने व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, जो विहित किए जाएं ।

13. प्रस्तावित केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना से उद्भूत वित्तीय विवीक्षाओं का आकलन आठ करोड़ रुपए के वार्षिक आवर्ती व्यय का किया गया है जो प्रचालन लागतों को चुकाने के लिए, जिसके अंतर्गत वेतन और भत्ते हैं, के लिए है । इस व्यय को चुकाने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग के वार्षिक बजट से समुचित बजटीय आबंटन किया जाएगा ।

14. जिला आयोग और राज्य आयोग के अतिरिक्त सदस्यों और अधिकारियों की नियुक्ति में अंतर्वलित सटीक व्यय को उपदर्शित करना कठिन होगा क्योंकि यह राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त ऐसे सदस्यों या अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की वास्तविक संख्या पर निर्भर करता है । तथापि, इस लेखे व्यय को राज्य सरकार द्वारा उपगत किया जाएगा । विधेयक में आवर्ती या अनावर्ती कोई अन्य व्यय अनुकल्पित नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के खंड 101 का उपखंड (1) केन्द्रीय सरकार को, प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । उपखंड (2) में वे विषय विनिर्दिष्ट हैं जिनके संबंध में नियम बनाये जा सकेंगे । इन विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ--(क) खंड 2 के उपखंड (19) के अधीन अन्य वर्ग या व्यक्तियों के वर्ग, जिनके अन्तर्गत लोक यूटीलिटी अस्तित्व भी हैं ; (ख) प्रतियोगिता, लाटरी, कौशल प्रधान खेल, जिन्हें खंड 2 के उपखंड (47) की मद (iii) की उपमद (ख) के अधीन छूट प्रदान की जानी है ; (ग) खंड 2 के उपखंड (47) की मद (vii) के अधीन विक्रय किए गए माल या प्रदान की गई सेवाओं के लिए बिल या कैश मेमो या रसीद जारी करने की रीति ; (घ) खंड 3 के उपखंड (2) की मद (ख) के अधीन केन्द्रीय परिषद् के अन्य शासकीय या अशासकीय सदस्यों की संख्या ; (ङ) खंड 4 के उपखंड (2) के अधीन केन्द्रीय परिषद् की बैठक का समय और स्थान और उसके कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया ; (च) खंड 10 के उपखंड (2) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण में आयुक्तों की संख्या ; (छ) खंड 11 के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति के लिये अर्हताएं, उनकी भर्ती की रीति, नियुक्ति की प्रक्रिया ; (ज) खंड 13 के उपखंड (2) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ; (झ) खंड 15 के उपखंड (2) के अधीन महानिदेशक, अपर महानिदेशक, निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप-निदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और नियुक्ति की रीति ; (ञ) खंड 22 के उपखंड (3) के अधीन व्यक्ति को वापस किए जाने से पूर्व दस्तावेजों की प्रतियां या उद्धरण, अभिगृहीत या प्रस्तुत अभिलेख या वस्तु ग्रहण करने की रीति ; (ट) खंड 22 के उपखंड (4) के अधीन अधिकारी और उन वस्तुओं का व्ययन करने की रीति, जो त्वरित या प्राकृतिक क्षय से ग्रस्त हैं ; (ठ) खंड 26 के उपखंड (1) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा लेखाओं की वार्षिक विवरणी तैयार करने का प्ररूप और रीति ; (ड) वह रीति, जिसमें और वह समय, जिसके भीतर वार्षिक रिपोर्ट, अन्य रिपोर्ट और विवरणियां खंड 27 के उपखंड (1) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा तैयार की जा सकेंगी ; (ढ) खंड 29 के अधीन जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं, भर्ती पद्धति, भर्ती की प्रक्रिया, पदावधि, पद त्याग और हटाया जाना ; (ण) ऐसे माल और सेवाओं का अन्य मूल्य, जिसके सम्बन्ध में जिला आयोग को खंड 34 के उपखंड (1) के परंतुक के अधीन परिवाद ग्रहण करने की अधिकारिता होगी ; (त) खंड 35 के उपखंड (1) के परंतुक के अधीन इलैक्ट्रॉनिक रूप से परिवाद फाइल करने की रीति ; (थ) खंड 35 के उपखंड (2) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए फीस, फीस का संदाय करने का इलैक्ट्रॉनिक प्ररूप और रीति ; (द) वे मामले, जो खंड 37 के उपखंड (1) के अधीन मध्यक्ता द्वारा निपटान के लिए निर्दिष्ट नहीं किए जा सकेगें ; (ध) खंड 38 के उपखंड (2) की मद (ग) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के मामले में नमूने लिए गए माल के अधिप्रमाणन की रीति ; (न) कोई अन्य विषय, जो खंड 38 के उपखंड (9) की मद (च)

के अधीन विहित किया जाए ; (प) वह निधि, जहां प्राप्त रकम खंड 39 के उपखंड (2) के अधीन जमा की जाए और ऐसी रकम के उपयोग की रीति ; (फ) प्ररूप और रीति, जिसमें अपील खंड 41 के अधीन राज्य आयोग को की जा सकेगी; (ब) खंड 43 के अधीन राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, पदावधि, त्याग पत्र और हटाए जाना; (भ) ऐसे माल और सेवाओं का अन्य मूल्य, जिसके सम्बन्ध में राज्य आयोग को खंड 47 के उपखंड (1) की मद (क) की उपमद (i) के परंतुक के अधीन अधिकारिता होगी ; (म) खंड 51 के उपखंड (1) के अधीन राष्ट्रीय आयोग को अपील फाइल करने का प्ररूप और रीति तथा अपील फाइल करने से पूर्व पचास प्रतिशत रकम जमा करने की रीति ; (य) खंड 54 की मद (ख) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की संख्या ; (यक) खंड 55 के उपखंड (1) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, पदत्याग, हटाया जाना तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ; (यख) खंड 57 के उपखंड (3) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ; (यग) ऐसे माल और सेवाओं का अन्य मूल्य, जिसके सम्बन्ध में राष्ट्रीय आयोग को खंड 58 के उपखंड (1) की मद (क) की उपमद (i) के परंतुक के अधीन अधिकारिता प्राप्त होगी ; (यघ) खंड 67 के दूसरे परंतुक के अधीन पचास प्रतिशत रकम जमा करने की रीति ; (यङ) वह प्ररूप, जिसमें राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग खंड 70 के उपखंड (4) के अधीन केन्द्रीय सरकार को सूचना देगा ; (यच) खंड 74 के उपखंड (3) के अधीन उपभोक्ता मध्यक्ता सैल में नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्ति ; (यछ) खंड 94 के अधीन ई-वाणिज्य, प्रत्यक्ष विक्रय आदि में अनुचित व्यापार पद्धतियों को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय ; (यज) खंड 96 के उपखंड (1) के अधीन अपराधों को शमन करने के लिए रकम ; (यझ) वह निधि, जिसमें संग्रहीत शास्ति और रकम खंड 97 के अधीन जमा की जाएगी ; और (यज) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके सम्बन्ध में नियमों द्वारा उपबंध किए जाने हैं या किए जाएं, सम्मिलित हैं ।

2. विधेयक के खंड 102 का उपखंड (1) राज्य सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । उपखंड (2) में वे विषय विनिर्दिष्ट हैं जिनके संबंध में नियम बनाये जा सकेंगे । इन विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ -- (क) खंड 2 के उपखंड (19) के अधीन अन्य वर्ग या व्यक्तियों के वर्ग, जिनके अन्तर्गत लोक यूटीलिटी अस्तित्व भी हैं ; (ख) प्रतियोगिता, लाटरी, कौशल प्रधान खेल, जिन्हें खंड 2 के उपखंड (47) की मद (iii) की उपमद (ख) के अधीन छूट प्रदान की जानी है ; (ग) खंड 6 के उपखंड (2) की मद (ख) के अधीन केन्द्रीय परिषद् के अन्य शासकीय या अशासकीय सदस्यों की संख्या ; (घ) खंड 6 के उपखंड (4) के अधीन राज्य परिषद् की बैठक का समय और स्थान और उसके कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया ; (ङ) खंड 8 के उपखंड (2) की मद (ख) के अधीन जिला परिषद् के अन्य शासकीय या अशासकीय सदस्यों की संख्या ; (च) खंड 8 के उपखंड (4) के अधीन जिला परिषद् की बैठक का समय और स्थान और उसके कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया ; (छ) खंड 28 के उपखंड (2) की मद (घ) के अधीन जिला आयोग

के सदस्यों की संख्या ; (ज) खंड 30 के अधीन जिला आयोग के प्रधान और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ; (झ) खंड 33 के उपखंड (3) के अधीन जिला आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ; (ञ) खंड 38 के उपखंड (2) की मद (ग) के अधीन राज्य आयोग और जिला आयोग द्वारा लिए गए माल के नमूने के अधिप्रमाणन की रीति ; (ट) खंड 41 के दूसरे परंतुक के अधीन अपील फाइल करने से पूर्व रकम का पचास प्रतिशत जमा करने की रीति ; (ठ) खंड 42 के उपखंड (3) के अधीन राज्य आयोग के सदस्यों की संख्या ; (ड) खंड 44 के अधीन राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ; (ढ) खंड 46 के उपखंड (3) के अधीन राज्य आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ; (ण) वह प्ररूप, जिसमें राज्य आयोग खंड 70 के उपखंड (5) के अधीन राज्य सरकार को सूचना देगा ; (त) खंड 74 के उपखंड (3) के अधीन उपभोक्ता मध्यक्ता सैल में के व्यक्ति ; (थ) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके सम्बन्ध में नियमों द्वारा उपबंध किए जाने हैं या किए जाएं, सम्मिलित हैं ।

3. विधेयक के खड 103 का उपखंड (1) राष्ट्रीय आयोग को, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे सभी विषयों के लिए, जिनके लिए प्रस्तावित विधान के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए उपबंध करना आवश्यक या समीचीन है, ऐसे विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है जो प्रस्तावित विधान से असंगत न हो । उपखंड (2) में यह उपबंधित है कि विनियमों में (क) खंड 38 के उपखंड (7) के दूसरे परंतुक के अधीन जिला आयोग द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले स्थगन के लिए खर्चे ; (ख) खंड 52 के दूसरे परंतुक के अधीन, यथास्थिति, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले स्थगन के लिए खर्चे ; (ग) खंड 74 के उपखंड (4) के अधीन उपभोक्ता मध्यक्ता सैल द्वारा किसी अन्य सूचना का रखा जाना ; (घ) खंड 74 के उपखंड (5) के अधीन जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग को उपभोक्ता मध्यक्ता सैल द्वारा त्रैमासिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने की रीति ; (ङ) खंड 75 के उपखंड (2) के अधीन मध्यक के रूप में पैनलीकरण के लिए अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव, पैनलीकरण के लिए प्रक्रिया, पैनलीकृत मध्यकों के प्रशिक्षण करने की रीति, पैनलीकरण के निबंधन और शर्तें, पैनलीकृत मध्यकों के लिए आचार संहिता, ऐसे आधार, जिन पर और वह रीति, जिसमें पैनलीकृत मध्यकों को हटाया जाएगा और पैनलीकरण को रद्द किया जाएगा और उससे सम्बन्धित खंड अन्य विषय ; (च) खंड 75 के उपखंड (3) के अधीन किसी अन्य अवधि के लिए मध्यकों के पुनः पैनलीकरण के लिए शर्तें ; (छ) खंड 77 के खंड (ग) के अधीन मध्यकों द्वारा प्रकट किए जाने वाले अन्य तथ्य ; (ज) वह समय, जिसके भीतर और वह रीति जिसमें मध्यकता खंड 79 के उपखंड (3) के अधीन संचालित किया जा सकेगा ; और (झ) ऐसा अन्य विषय, जिसके लिए विनियम द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जाए, के लिए उपबंध किए जा सकेंगे ।

4. विधेयक के खंड 104 का उपखंड (1) केन्द्रीय प्राधिकरण को, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस विधान के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, ऐसे विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है जो प्रस्तावित विधान से असंगत न हो । उपखंड

(2) में यह उपबंधित है कि ऐसे विनियमों में - (क) खंड 13 के उपखंड (3) के अधीन विशेषज्ञों और व्यवसायियों को नियोजित करने की प्रक्रिया तथा ऐसे विशेषज्ञों और व्यवसायियों की संख्या ; (ख) खंड 14 के उपखंड (1) के अधीन मुख्य आयुक्त और आयुक्त के कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया तथा कारबार का आबंटन ; (ग) वह प्ररूप, रीति और समय, जिसके भीतर महानिदेशक द्वारा किए गए जांच या अन्वेषण खंड 15 के उपखंड (5) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाएंगे ; और (घ) ऐसे अन्य विषय, जिनके लिए विनियम द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जा सकेगा, के लिए उपबंध किए जा सकेंगे ।

5. वे विषय, जिनके संबंध में नियम और विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया या प्रशासनिक ब्यौरों से संबंधित हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्ति का प्रत्योजन सामान्य प्रकृति का है ।

MGIPMRND—1177LS(CRC)—3-7-2019.